

#### The Intermediate Education Act, 1921

Act 2 of 1921

**Keyword(s)**:

Institution, Management Committee, Education, Library, Employee, Intermediate

Amendments appended: 29 of 1972, 1 of 1981, 9 of 1981, 6 of 1984, 18 of 1987, 16 of 2008,

10 of 2022, 15 of 2022

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

# THE INTERMEDIATE EDUCATION ACT, 1921 (U.P. Act No. II of 1921)

-----


#### ARRANGEMENT OF SECTIONS

#### Sections

- 1- Short title, extent and commencement
- 2- Definitions
- 3- Constitution of the Board
- 3A- Removal of member
- 4- Term of office of members
- 5- Filling of vacancies on expiry of term of office
- 6- Omitted
- 7- Powers of the Board
- 7A- Recognition of an institution in any new subject or for a higher class
- 7AA- Employment of part time teachers or part-time instructors.
- 7AB- Exemption
- 7B- Prohibition of Unauthorized Conferment of Diplomas and Certificates.
- 7C- Bar of charging any donation for admission to an institution.
- 7D- Penalty for contravention of section 7-B or section 7-C
- 7E- Power of utilization of donations
- 8- Exemption of certain Universities from the operation of the Act
- 9- Powers of State Government
- 10- Officers of the Board
- 11- Powers and duties of Chairman
- 12- Appointment, powers and duties of Secretary
- 13- Appointment and constitution of Committees
- 14- Exercise of power delegated by board to Committees
- 14A- XLV of 1860

#### REGULATIONS

- 15- Power of Board to make Regulations
- 16- Previous publication and sanction of Regulations made by Board



# इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921 ई0)

## THE INTERMEDIATE EDUCATION ACT, 1921

(U.P. Act No. II of 1921)

#### THE INTERMEDIATE EDUCATION ACT, 19211

#### [U. P. ACT No. II OF 1921]

#### Amended by

- U. P. Act No. V of 1941
- U. P. Act No. IV of 1950
- U. P. Act No. XXXV of 1958
- U. P. Act No. VI of 1959
- U. P. Act No. VII of 1966
- U. P. Act No. XXIX of 1972
- U.P. Act No. XXVI of 1975
- U. P. Act No. V of 1977
- U. P. Act No. XII of 1978
- U. P. Act No. 01 of 1981
- U. P. Act No. 09 of 1981
- U. P. Act No. 06 of 1984
- U. P. Act No. 18 of 1987
- U. P. Act No. 16 of 2008

## Adopted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937

#### Adopted and modified by the Adaptation of Laws Order, 1950

[Received the assent of the Governor on the 30th September, 1921, and of the Governor-General on the 10th December, 1921, and was published 2 under section 81 of the Government of India Act on the 7th January, 1922.]

#### AN

#### **ACT**

For the establishment of a Board of High School and Intermediate Education.

WHEREAS it is expedient to establish a Board to take the place of the Allahabad University in regulating and supervising the system of High School and Intermediate Education in the United Provinces, and to prescribe courses, therefor;

It is hereby enacted as follows:

Short title, extent and commencement

**1.** (1) This Act may be called the Intermediate Education Act, 1921.

<sup>1.</sup> For S. O. R., see Gazette. 1921 Pt. VII, p. 18.

<sup>2.</sup> See Gazette 1922, pt. VII p. 1.

## इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921<sup>1</sup> [संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1941 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1950 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1958 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1959 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 1966 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1972 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1977 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1978 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1981 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1981 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1984 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1987 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 1987

#### द्वारा संशोधित

गवर्नमेंन्ट आफ इंण्डिया (एडेप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत ।

एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत ।

[ गवर्नर ने 30 सितम्बर, 1921 तथा गवर्नर जनरल ने 10 दिसम्बर, 1921 को अनुमित प्रदान की और गर्वनमेंन्ट आफ इंडिया, ऐक्ट, की धारा 81 के अधीन 7 जनवरी, 1922 को प्रकाशित<sup>2</sup> हुआ । ]

## एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिये

#### अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धित का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के सम्बन्ध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिये तथा उसके लिये पाठ्यक्रम विहित करने के लिये एक परिषद् की स्थापना की जाय ;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है ;

1-(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

<sup>1.</sup> उद्देश्य कारण हेतु गजट, 1921 की पृष्ठ संख्या 18 के बिन्दु VII देखें।

<sup>2.</sup> कृपया गजट, 1922, भाग-सात, पृष्ठ 1 देखिये।

- (2) [It shall extend¹ to the whole of Uttar Pradesh. ]²
- (3) It shall come into force on such date<sup>3</sup> as the <sup>4</sup>[State Government] may, by notification in the <sup>5</sup>[Official Gazette] direct.

#### **Definitions**

- **2.** In this Act, and in all Regulations made hereunder, unless there is anything repugnant in the subject or context, —
- (a) "Board" means the Board of High School and Intermediate Education;
- <sup>6</sup>[ (aa) "Centre" means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto];
- (aaa) "Director" means the Director of Education, Uttar Pradesh <sup>7</sup>[and except for purposes of section 3, includes an Additional Director of Education.]
- <sup>8</sup>[(b) "Institution" means a recognized Intermediate College, Higher Secondary School or High School, and includes, where the context so requires, a part of an institution, and 'Head of Institution'

This Act has been extended to the area mentioned in column 1 of this table under the Act or Order mentioned in column 2 and enforced in such areas under notification, if any, mentioned in column 3 with effect from the date mentioned in column 4 against each such area;

	Act or Order	Notification, if	Date from
Area	under which	any, under	which
	Extended	which forced	enforced
1. Rampur	Rampur (Application	No. 810/XVII,	
District	of Laws) Act, 1950	dated Feb, 28, 1950	March 1, 1950
2. Banaras	Banaras (Application of Laws)	No. 812/XVII,	
District	Order, 1949	dated Feb. 28, 1950.	Ditto.
3. Tehri-	Tehri-Garhwal (Application	No. 812/XVII,	
Garhwal	of Laws) Order, 1950.	dated Feb. 28, 1950.	Ditto.
District			

<sup>2.</sup> Subs. for subs. (2) of S. 1 by the A. O. 1950.

<sup>3.</sup> The Act came into force on April 1, 1922.

<sup>4.</sup> Subs. by the A. O. 1950 for (Provl. Government)

<sup>5.</sup> Subs. for (Gazette) by the A. O. 1937.

<sup>6.</sup> Add. by sec. 2 (1) of U. P. Act No. VI of 1959.

<sup>7</sup> Ins. by sec. 2 of U. P. Act No. 1 of 1981.

<sup>8.</sup> Subs. by sec. 2 (1) of U.P. Act No. XXVI of 1975.

- [(2) इसका विस्तार¹ सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।]²
- (3) यह ऐसे दिनांक $^3$  से प्रवृत्त होगा जैसा कि  $^4$ [राज्य सरकार]  $^5$ [सरकारी गजट] में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दें ।

**2**—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा **परिभाषायें** इसके अधीन बने समस्त विनियमों में ——

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है ;

6[(कक) "केन्द्र" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू—गृहादि भी सम्मिलित है ;]"

(ककक) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है; <sup>7</sup>[और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी है]

<sup>8</sup>[(ख) "संस्था" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है, और, जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का

1. इस अधिनियम का विस्तार इस सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में, स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियम या आर्डर के अधीन किया गया है और इसे ऐसे क्षेत्रों में, स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति, यदि कोई हो, के अधीन उस दिनांक से जो प्रत्येक ऐसे क्षेत्र के सामने स्तम्भ 4 में उल्लिखित है प्रवृत्त किया गया है ;

	अधिनियम अथवा आदेश	विज्ञप्ति यदि कोई	तिथि, जिससे
क्षेत्र	जिनके अन्तर्गत	हो जिनके अंतर्गत	प्रभावी किया
	प्रसारित किये गये है	प्रभावी किया गया	गया
1– जिला रामपुर	रामपुर (एप्लीकेशन	विज्ञप्ति सं० ८१०/	1 मार्च, 1950
	आफ लाज) ऐक्ट,	सत्रह, दिनांक 28,	
	1950	फरवरी, 1950	
2– जिला बनारस	बनारस (एप्लीकेशन	विज्ञप्ति सं0 812/	तदैव
	आफ लाज) आर्डर,	सत्रह, दिनांक 28	
	1949	फरवरी, 1950	
3– जिला टेहरी	टेहरी–गढ़वाल		
गढ़वाल	(एप्लीकेशन आफ लाज)		तदैव
	आर्डर, 1950		

<sup>2.</sup> ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 की धारा 1 की उपधारा (2) के लिये प्रतिस्थापित ।

<sup>3.</sup> यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1922 को प्रचलित हुआ ।

<sup>4.</sup> ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविंशियल गवर्नमेन्ट) के लिये प्रतिस्थापित ।

<sup>5.</sup> ऐडप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (गजट) के लिये प्रतिस्थापित ।

<sup>6.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>7.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 1, 1981 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।

means the Principal or Head Master, as the case may be, of such institution.  $]^1$ 

<sup>2</sup>[ (bb) "Inspector" means the District Inspector of Schools, and in relation to an institution for girls, the Regional Inspectress of Girls' Schools, as the case may be, and in each case includes an officer authorized by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Act; ]

<sup>3</sup>[(bbb) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations at a Centre;

- 4 (c) "Prescribed" means prescribed by regulations.
- (d) "Recognition" means recognition for the purpose of preparing candidates for admission to the Board's examinations;
- <sup>5</sup>[(dd) "Regional Deputy Director, Education" means the Deputy Director of Education in charge of a region and includes an officer authorized by the State Government to perform all or any other duties of a Regional Deputy Director.]
- (e) "Regulations" means Regulations made by the Board under this Act.
  - (f) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh.
- •[(g) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent and an Associate Superintendent.]

## <sup>7</sup>[Constitution of the Board]

- **7[ 3.** (1) the Board shall consist of a Chairman (which office shall be held by the Director, *ex-officio*) and the following other member, namely —
- (a) two heads of the institution, maintained by the State Government, nominated by the State Government;
- (b) two teachers of the institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government;

<sup>1.</sup> Subs. by s. 2 (i) of U. P. Act No. XXVI of 1975.

<sup>2.</sup> Subs. by s. 2 (ii) Ibid.

<sup>3.</sup> Ins. by s. 2 (2) of U. P. Act No. VI of 1959.

<sup>4.</sup> Subs. by s. 2 (iii) Ibid.

<sup>5.</sup> Add. by s. 2 (3) of U. P. Act no. XXV of 1958.

<sup>6.</sup> Ins. By s. 2(3) of U.P. Act no. VI of 1959.

<sup>7.</sup> Subs. by sec. 2 of U.P. Act No. 16 of 2008.

भाग भी है, और "संस्था के प्रधान" का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है । ]1

- <sup>2</sup>[(खख) "निरीक्षक" का तात्पर्य, यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक से, और बालिकाओं के लिये संस्था की स्थिति में, सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;]
- ³ [(खखख) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे : ]
  - 4[(ग) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है ; ]
- (घ) "मान्यता" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है ;
- <sup>5</sup>[(घघ) "सम्भागीय शिक्षा उप—िनदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा उप—िनदेशक से है और इसमें सम्भागीय उप—िनदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सिम्मिलित है;
- (ङ) "विनियम" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;
  - [(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; ]
- 6[(छ) "केन्द्र—अधीक्षक" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है।]
- 7[3—(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् —

<sup>7</sup>[बोर्ड का गठन]

- (क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रधान ;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो अध्यापक ;

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 2 (1) द्वारा रखा गया ।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा रखा गया ।

<sup>3.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, 1959 की धारा २ (२) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

<sup>4.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>5.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 25, 1958 की धारा 2 (3) द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>6.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ६, 1959 की धारा २ (३) द्वारा अन्तर्विष्ट ।

<sup>7.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (c) the Director, State Council of Educational Research and training Uttar Pradesh, Lucknow or a representative nominated by him;
- (d) the Director, State institute of Educational Management and Training Uttar Pradesh, Allahabad or representative nominated by him;
- (e) the Additional Director of Education (Correspondence), Correspondence Education Institute, Allahabad;
- (f) the Additional Director of Education, (Vocational Education) Lucknow;
- (g) two person related to Education, nominated by the State Government;
- (h) two women related to Women's Education, nominated by the State Government;
- (i) the Director, State Institute of Science Education, Allahabad, ex-officio;
  - (j) the Principal, State Institute of Education Allahabad ex-officio;
  - (k) the Director, Bureau of Psychology, Allahabad ex-officio;
- (l) the Secretary, Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, *ex-officio*;
- (m) one District Inspector of Schools nominated by the State Government;
- (n) one Regional Joint Director of Education nominated by the State Government ;
- (o) the Regional Officer, Central board of Secondary Education, Allahabad *ex-officio*;
- (p) the Principal, Government Physical Training College, Rampur, *ex-officio*;
- (q) one Professor of a Degree College affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;
- (r) one Professor of an Engineering College affiliated to an Engineering University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;
- (s) the Professor of Agricultural University established by law in Uttar Pradesh, nominated by the State Government;
- (t) the Professor of a Medical College affiliated to a Medical University nominated by the State Government;
- $^{1}$ [(2) The Secretary of the Board shall be the *ex-officio* member-secretary of the Board.]

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 2 of UP Act No. 16, 2008.

- [(ग) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ या उसके द्वारा, नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ;
- (घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि ;
  - (ङ) अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद ;
  - (च) अपर शिक्षा निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) लखनऊ ;
  - (छ) शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;
  - (ज) महिला शिक्षा से संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो महिला ;
  - (झ) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;
  - (ञ) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;
  - (ट) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद ;
  - (ठ) सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् लखनऊ, पदेन ;
  - (ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक ;
  - (ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सम्भागी संयुक्त शिक्षा निदेशक ;
  - (ण) क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद पदेन ;
  - (त) प्राचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण, महाविद्यालय रामपुर, पदेन ;
- (थ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;
- (द) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देष्ट एक आचार्य ;
- (ध) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;
- (न) किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ;
  - (2) बोर्ड का सचिव, बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा;]1

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतस्थापित।

(3) As soon as may be after the nomination of the Board has been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted.  $]^1$ 

### Removal of member

<sup>2</sup>[3-A. The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest;

Provided that the State Government shall before removing a member as aforesaid give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal. ]

## Term of office of members

**4.** (1) Member other than <sup>3</sup>[ex officio members] shall hold office for a term of three years from the date of the notification published under <sup>4</sup>[sub-section (3) of section 3.]

<sup>5</sup>[ Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, enlarge the term of office of all such members by a period not exceeding <sup>6</sup>[six months] at a time so however, that the enlargements, so granted, shall not in the aggregate exceed <sup>6</sup>[one year].

<sup>6A</sup>[ (2) A member of the Board shall cease to be such member upon his ceasing to have the capacity in which he was <sup>7</sup>[nominated] and his place shall thereupon become vacant.]

Filling of vacancies on expiry of term of office <sup>8</sup>[5. The State Government shall take steps for the reconstitution of the Board the expiry of the office of members.]

#### **6.** 9 [ \* \* \* \* ]

### Powers of the Board

**7.** Subject to the provisions of this Act the Board shall have the following powers, namely:-

 $^{10}$  [(I) to prescribe courses of instructions, text-books, other books and instructional material, if any, for the High School and Intermediate classes in such branches of education as it thinks fit;

 $^{10}$ (I-A) to publish or manufacture, whether to the exclusion, complete or partial, of others or otherwise all or any of such text-books, other books or instructional material;

<sup>1.</sup> Subs. by section 2 of U.P. Act No. 16 of 2008.

<sup>2.</sup> Add. by section 4 of U. P. Act No. 35 of 1958.

<sup>3.</sup> Subs. by section 4 (a) of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>4.</sup> Subs. by section 12 (a) of U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>5.</sup> Add. by section 2 of U. P. Act No. IV of 1950.

<sup>6.</sup> Subs. by section 12 (b) of U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>6</sup>A. Subs. by section 4(B) of U.P. Act No. 26 of 1975.

<sup>7.</sup> Subs. by section 3 of U.P. Act No. 16 of 2008.

<sup>8.</sup> Subs. by section 13 of U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>9.</sup> Omit. by section 14 of U.P. Act No. 12 of 1978.

<sup>10.</sup> Subs. by section 5 (ii) of U.P. Act No. 26 of 1975 and be always deemed to have been substituted.

(3) बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है। $]^1$ 

<sup>2</sup>[3-क- राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरूपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिये हानिकारक हो ;

सदस्य का हटाया जाना

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।]

4-(1) <sup>3</sup> [पदेन सदस्यों] के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि <sup>4</sup> [धारा 3 की उपधारा (3)] के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी:

सदस्यों की पदावधि

- <sup>5</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अविध एक बार में <sup>6</sup>[छः महीने] से अनिधक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गई अविध कुल मिलाकर <sup>6</sup>[एक वर्ष] से अधिक न हो ।
- 6<sup>क</sup>[(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह 7[नाम–निर्दिष्ट] किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जाएगा।]

8[5-राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदाविध की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गटन के लिये कार्यवाही करेगी।] प्रतिस्थापन

7– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होंगे अर्थात् :-- बोर्ड के अधिकार

- 10[(1) हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण-सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;
- 10(1-क) ऐसी पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण ] ;

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16, 2008 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 35, 1958 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>3.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा रखा गया।

<sup>4.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12 1978 की धारा 12 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४, १९५० की धारा २ द्वारा बढ़ाया गया ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 12, 1978 की धारा 12 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup>क. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २६, १९७५ की धारा ४(ख) द्वारा रखा गया।

<sup>7.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16, 2008 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>8.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>9.</sup> उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा निकाला गया।

<sup>10.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 5 (1) रखा गया और सदैव से रखा गया समझा जायेगा ।

- (2-a) to grant diplomas or certificates to persons who have pursued a course of study in an institution admitted to the privileges of recognition by the Board, or
  - (b) are teachers; or
- (c) have studied privately, under conditions laid down in the Regulations, and have passed the examinations of the Board under like conditions;
- (3) to conduct examinations at the end of the High School and Intermediate courses;
  - (4) to recognize institutions for the purposes of its examinations;
  - (5) to admit candidates to its examinations;
- (6) to demand and receive such fees as may be prescribed in the Regulations;
- $^{1}$ [(7) to publish or withhold publication of the results of its examinations wholly or in part ];
- (8) to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine;
- (9) to call for reports from <sup>2</sup>[the Director] on the condition of recognized institutions or of institutions applying for recognition;
- (10) to submit to the <sup>3</sup>[State Government] its views on any matter with which it is concerned;
- (11) to see the schedules of new demands proposed to be included in the budget relating to institutions recognized by it and to submit, if it thinks fit, its views thereon for the consideration of the [State Government]<sup>3</sup>;
- (12) to do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising High School and Intermediate Education.

<sup>4</sup>[Recognition of an institution in any new subject or for a higher class]

- $^{4}$  [7-A. Notwithstanding anything contained in clause (4) of section 7 —
- (a) the Board may, with the prior approval of, the State Government, recognize an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class;
- (b) the Inspector may permit an institution to open a new section in an existing class. ]

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 5 (ii) of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 5 of U. P. Act No. XXXV of 1958.

<sup>3.</sup> Subs. for (Provl. Govt.) by the A. O. 1950 which had been substituted for (Minister) by sec. 5 (2) of U. P. Act No. V of 1941.

<sup>4.</sup> Subs. by sec. 2 of U. P. Act No. 18 of 1987.

- (2-क) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषाधिकार वाली किसी संख्या से अध्यापन पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, या
  - (ख) जो अध्यापक हों ; या
- (ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्ही शर्तों के अधीन बोर्ड की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों ;
- (3) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना ;
  - (4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ;
  - (5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ;
  - (6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किए जायें ;
- ¹ [(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना];
- (8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना जो बोर्ड अवधारित करे :
- (9) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में 2[निदेशक] से रिपोर्ट मांगना ;
- (10) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में <sup>3</sup>[राज्य सरकार को] अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो :
- (11) बजट में सिम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और, यदि वह उचित समझें, तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को <sup>3</sup>[राज्य सरकार के] विचारार्थ भेजना ;
- (12) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों का करना जो हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गए बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।
  - 4[7-क-धारा ७ के खण्ड (4) में किसी बात के होते हुए भी, --
- (क) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी संस्था को किसी नये विषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकता है ;
- (ख) निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है । ]

4[किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता]

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 5 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ३५, १९५८ की धारा ५ द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3.</sup> एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित जो सं0 प्रा0 अधिनियम सं0 5, 1941 की धारा 5 (2) द्वारा "मिनिस्टर" के लिए प्रतिस्थापित किया गया ।

<sup>4.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 18, 1987 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[Employment of part time teachers or part-time instructors]

- <sup>1</sup>[ **7-AA.** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the management of an institution may, from its own resources, employ—
- (i) as in interim measure part-time teachers for imparting instructions in any subject or group of subject or for a higher class for which recognition is given or in any section of an existing class for which permission is granted under section 7-A;
- (ii) part-time instructors to impart instructions in moral education or any trade or craft under socially useful productive work or vocational course.
- (2) No recognition shall be given and no permission shall be granted under section 7-A, unless the Committee of Management furnishes such security in cash or by way of Bank guarantee to the Inspector as may be specified by the State Government from time to time.
- (3) No part-time teacher shall be employed in an institution unless such conditions as may be specified by the State Government by order in this behalf are complied with.
- (4) No part-time teacher or part-time instructor shall be employed unless he possesses such minimum qualifications as may be prescribed.
- (5) A part-time teacher or a part-time instructor shall be paid such honorarium as may be fixed by the State Government by general or special order in this behalf.
- (6) Nothing in this Act shall preclude a person already serving as a teacher in an institution from being employed as a part-time teacher or a part-time instructor under section 7-AA.

<sup>2</sup>[Exemption]
U. P. Act no.
24 of 1971

<sup>2</sup>[ 7-AB. Nothing in the Uttar Pradesh High School and intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 or the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act, 1982, shall apply in relation to part-time teachers and part-time instructors employed in an institution under section 7-AA.]

Prohibition of Unauthorized Conferment of Diplomas and Certificates **7-B.** No person shall confer, grant or issue or hold himself out entitled to confer, grant or issue any diploma or certificate or other document stating or implying that the holder, grantee or recipient has pursued a course of study, in any institution or privately, and has passed the High School or Intermediate Examination or any examination described in a manner reasonably calculated to cause it to be believed to be the High School or Intermediate Examination;

<sup>1.</sup> Ins. by sec. 3 of U. P. Act No. 18 of 1987.

<sup>2.</sup> Ins. by sec. 3 of U. P. Act No. 18 of 1987.

<sup>1</sup>[7-कक- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण —

- <sup>1</sup>[अंशकालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन|
- (एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिक अध्यापक को, धारा 7—क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता दी गई है, उसमें, या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिये अनुज्ञा दी गई है, उसमें, शिक्षा देने के लिये;
- (दो) अंशकालिक अनुदेशक को, नैतिक शिक्षा या सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने के लिये, अपने स्त्रोत से सेवायोजित कर सकता है।
- (2) धारा 7—क के अधीन कोई मान्यता और कोई अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति निरीक्षक को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट की जाय ।
- (3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तों का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अनुपालन न किया जाय ।
- (4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक कि वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें, जैसी विहित की जाय, न रखता हो ।
- (5) किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय ।
- (6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 7—कक के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किये जाने से प्रचारित नहीं करेगी ।
- <sup>2</sup>[7–कख– उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात धारा 7–कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी ।

7—ख— कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, ग्रहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाईस्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्तियुक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है ।

<sup>2</sup>[छूट] उ० प्र0 अधिनियम संख्या 24 सन् 1971

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 18, 1987 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>2.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 18, 1987 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

[The Intermediate Education Act, 1921]

Bar of charging any donation for admission to an institution **7-C.** No person connected with the management of an institution and no Head of the Institution or teacher or any other employee thereof shall directly or indirectly take or receive or cause to be taken or received any contribution, donation, fees, or any other payment of any sort, either in cash or in kind, except the fees at the rates specified in any order issued by the State Government in this behalf, from or on behalf of any student <sup>1</sup>[as a condition for granting him admission to such institution.]

Penalty for contravention of section 7-B or section 7-C <sup>2</sup>[7-D. Whoever contravenes the provisions of section 7-B or section 7-C, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine which shall not be less than one thousand rupees and if the person so contravening is a society or any association of persons every member of such society or association who knowingly and willingly authorizes or permits such contravention, shall be so punishable.]

Power of utilization of donations

<sup>3</sup>[7-E. Where a contribution or donation, either in cash or in kind, is taken or received by an institution including an institution maintained exclusively by the State Government or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to the personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with the general or special orders of the State Government.]

Exemption of certain Universities from the operation of the Act

**8.** Nothing in the Act shall affect the constitution, powers or functions of the Banaras Hindu University <sup>4</sup>[or the Aligarh Muslim University] except with their consent recorded in writing.

Powers of State Government

- **9.** (1) The <sup>5</sup>[State Government] shall have the right to address the Board with reference to any of the work conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.
- (2) The Board shall report to the [State Government]<sup>5</sup> such action, if any, as it is proposed to take or has been taken upon its communication.
- (3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the [State Government]<sup>5</sup> the [State Government]<sup>5</sup> may, after considering any explanation further furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 32 of U. P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Ins. by sec. 6 of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>3.</sup> Ins. by sec. 33 of U. P. Act No. 5 of 1977.

<sup>4.</sup> Subs. by sec. 15 of U. P. Act No. 12 of 1978.

<sup>5.</sup> Subs. for (Provl. Govt.) by the A. O. 1950.

7—ग— किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी <sup>1</sup>[ऐसी संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत रहने की अनुज्ञा देने की शर्त के रूप में] किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा ।

संस्था में
प्रवेश पाने के
लिये कोई
दान आदि
प्रभारित
करने पर
रोक

<sup>2</sup>[7-घ- धारा 7-ख अथवा 7-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अविध के लिए कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी जो एक हजार रूपये कम न होगा दिण्डत किया जा सकेगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझ कर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दिण्डत किया जा सकेगा।

धारा 7—ख अथवा 7—ग का उल्लंघन करने के लिये शास्ति

³ [7—ङ— जहाँ किसी संस्था द्वारा, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में, लिया था प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायगा जिनके लिये वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में, नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।]

दान का उचित उपयोग

8—इस अधिनियम में दी गई किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय <sup>4</sup>[या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय] के संघटन, अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमित अभिलिखित न की गई हो ।

कतिपय विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

**9**–(1) <sup>5</sup>[राज्य सरकार] को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को संबोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे बोर्ड सम्बन्धित हो, बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा ।

राज्य सरकार के अधिकार

- (2) बोर्ड <sup>5</sup>[राज्य सरकार] को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।
- (3) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर <sup>5</sup>[राज्य सरकार] के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् <sup>5</sup>[राज्य सरकार] इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९७७ की धारा ३२ द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 6 द्वारा बढ़ायी गयी ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 5. 1977 की धारा 33 द्वारा बढाया गया ।

<sup>4.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>5.</sup> एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेंन्ट) के लिए प्रतिस्थापित ।

- <sup>1</sup>[(4) Whenever, in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provisions, pass such orders or take such other action consistent with the provisions of this act as it deems necessary, and in particular, may by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forthwith inform the Board accordingly.
- (5) No action taken by the State Government under sub-section (4), shall be called in question.]1

### Officers of the Board

- **10.** The following shall be the officers of the Board;
- (1) The Chairman,
- (2) The Secretary,
- (3) Such other officers as may be declared by the Regulations to be officers of the Board.

## Powers and duties of Chairman

- **11.** (1) It shall be the duty of the Chairman to see that this Act and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.
- (2) The Chairman shall have power to convene meetings of the Board, and shall call a meeting, at any time after due notice, on a requisition signed by <sup>2</sup>[not less than one-fourth of the total membership of the Board] and stating the business to be brought before the meeting.
- (3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which, in the opinion of the Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary, and shall thereafter report his action to the Board at its next meeting.
- (4) The Chairman shall exercise such other powers as may be prescribed by the Regulations.

#### Appointment, powers and duties of Secretary

**12.** (1) The Secretary shall be appointed by the <sup>3</sup> [state government] upon such conditions and for such period as the may deem fit.



- (2) The Secretary, shall, subject to the control of the Board, be the administrative officer of the Board. He shall be responsible for the presentation of the annual estimates and statement of accounts.
- (3) He shall be responsible for seeing that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted.
  - (4) He shall be responsible for keeping the minutes of the Board.

<sup>1.</sup> Subs. by section 7 of U.P. Act No. 26, 1975.

<sup>2.</sup> Subs. by section 8 ibid.

<sup>3.</sup> Subs. for Provincial Government by AO 1950.

<sup>4.</sup> Omit. by s. 9 (i) of U. P. Act No. 26 of 1975.

- <sup>1</sup> [(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपित्त नहीं की जायगी।]

10-बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे ;

बोर्ड के पदाधिकारी

- (1) सभापति,
- (2) सचिव,
- (3) ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय ।
- 11–(1) सभापति का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे ।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

- (2) सभापित को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर <sup>2</sup>[बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक—चौथाई सदस्यों] के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलाएगा ।
- (3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमे सभापित के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, सभापित ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे, और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना देगा ।
- (4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जायें ।
- 12-(1) सचिव को <sup>3</sup>[राज्य सरकार] द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्त किया जायगा जो उचित समझे ।

4 \* \* \*

सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्त्तव्य

- (2) बोर्ड के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए सचिव, बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा । वह वार्षिक अनुमान और लेखा–विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती है जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रविष्ट की गई है ।
  - (4) वह बोर्ड का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

- एडेप्टेशन ऑफ लॉज़ आर्डर, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
- 4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 26, 1975 की धारा 9 (i) द्वारा निकाला गया ।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा ७ द्वारा अन्तर्विष्ट ।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

- <sup>1</sup>[(4-A) He shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations.]
- (5) He shall exercise such other powers as may be prescribed by the Regulations.
  - (6) <sup>2</sup>[ \* \* \* ]

Appointment and constitution of Committees

- $^3$ [13. (1) The Board shall appoint the following Committees and different committees may be appointed for different areas of the State, namely:—
  - (a) Curriculum Committee,
  - (b) Examinations Committee,
  - (c) Results Committee,
  - (d) Recognition Committee; and
  - (e) Finance Committee.
- $^{\bf 4}[(2)$  Such Committees shall consist of the members of the Board only :

Provided that no member of the Board shall be the member of more than one kind of Committee of these Committees and the members of the Committees shall hold office as such till they are members of the Board.

- (3) In addition to the committees mentioned in sub-section (1), the Board shall appoint such other committees, if any, as may be prescribed and different such committees may be appointed for different areas.
- (4) These additional committees shall be constituted in such manner and the term of members of such committees shall be such as may be prescribed.]

Exercise of power delegated by board to Committees 14. All matters relating to the exercise by the Board of powers conferred upon it by this Act which have by Regulation been delegated by the Board to any one of its Committees shall stand referred to that Committee, and the Board before exercising any such powers shall receive and consider the report of the Committee with respect to the matter in question.

XLV of 1860

**5[14-A.** (1) A Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be a public servant under section 21 of the Indian Penal Code, 1860 during the course of examination or examinations conducted by the Board and for a period of one month prior to the commencement of, and of two months immediately following, such examination or examinations.

<sup>1.</sup> Ins. by section 9 (ii) of U.P. Act No. 26 of 1975.

<sup>2.</sup> Omit. by section 9 (iii) of U.P. Act No. 26 of 1975.

<sup>3.</sup> Subs. by sec. 10 of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>4.</sup> Subs. by sec. 4 of U. P. Act No. 16 of 2008.

<sup>5.</sup> Ins. by sec. 3 of U.P. Act 06 of 1959.

- <sup>1</sup>[(4-क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों ] ;
- (5) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें।
  - (6) 2[ \* \* \* ]
- ³ [13–(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती है, अर्थात् –

समितियों की नियुक्ति और संगठन

- (क) पाठ्यक्रम समिति,
- (ख) परीक्षा समिति,
- (ग) परीक्षाफल समिति,
- (घ) मान्यता समिति, और
- (ङ) वित्त समिति ।
- <sup>4</sup>[(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इस समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे बोर्ड के सदस्य है।]

- (3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, बोर्ड अन्य समितियों, यदि कोई हों, जो विहित की जाय, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियाँ नियुक्ति की जा सकती है।
- (4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इस समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए होगा जो विहित किया जाय।]<sup>3</sup>
- 14—इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किए गए ऐसे अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो, उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेंगे और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व, सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

अधिनियम संख्या 45, 1860

बोर्ड द्वारा

समितियों

प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग

<sup>5</sup>[14-क- (1) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक को तथा अन्तरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अधीन लोक-सेवक समझा जायगा।

<sup>1.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 26, 1975 की धारा 9 (ii) द्वारा रखा गया।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा ९ (iii) द्वारा निकाला गया।

उ० प्र० अधिनियम सं० २६, १९७५ की धारा १० द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 16, 2008 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ०६, १९५९ की धारा ३ द्वारा रखा गया।

(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent of a Centre or an invigilator during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions and shall be a cognizable offence. ]<sup>1</sup>

#### REGULATIONS

#### Power of Board to make Regulations

- **15.** (1) The Board may make Regulations for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power the Board may make Regulations providing for all or any of the following matters, namely:-
  - (a) the constitution, powers and duties of Committees;
  - (b) the conferment of diplomas and certificates;
- (c) the conditions of recognition of institutions for the purposes of its examinations ;
- (d) the courses of study to be laid down for all certificates and diplomas;
- (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and certificates;
  - (f) the fees for admission to the examinations of the Board;
  - (g) the conduct of examinations;
- (h) the appointment of examiners and their duties and powers in relation to the Board's examinations;
- (i) the election of members to the Board under  $^2$ [Clause (c)] of sub-section (I) of section 3;
- (j) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition ;
- (k) all matters which by this Act are to be or may be provided for by Regulations;
- (l) the conditions under which grants-in-aid shall be given to institutions recognized by the Board.
  - <sup>3</sup>[ (m) the formation of parent-teacher association. ]

Previous publication and sanction of Regulations made by Board

**4[16.** (1) Regulations under section 15 shall be made only with the previous sanction of the State Government and shall be published in the Gazette.

<sup>1.</sup> Add. by s. 3 of U. P. Act VI of 1959.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 17 of U. P. Act No. 12 of 1978.

<sup>3.</sup> Ins. by sec. 34 of U. P. Act No. 5 of 1977.

<sup>4.</sup> Ins. By sec. 12 of U.P. Act No. 26 of 1975.

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अविध में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल—प्रयोग किसी लोक—सेवक द्वारा उसके लोक—कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वेच्छया डाली गई बाधा समझी जायगी और वह असंज्ञेय प्रपराध होगा ।]<sup>1</sup>

#### विनियम

- 15-(1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकता है ।
- विनियम बनाने का अधिकार

बोर्ड का

- (2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है, अर्थात् :--
  - (क) सिमतियों का संघटन, उनके अधिकार और कर्त्तव्य ;
  - (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना ;
- (ग) बोर्ड को परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें ;
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्य-क्रम ;
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्ट किए जायेंगे और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण–पत्रों के पाने के पात्र होंगे ;
  - (च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क ;
  - (छ) परीक्षाओं का संचालन ;
- (ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और अधिकार :
- (झ) धारा 3 की उपधारा (1) के <sup>2</sup>[खण्ड (ग)] के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन ;
- (ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिये संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना ;
- (ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ;
- (ठ) वे शर्तें जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिये जायेंगे ।
  - <sup>3</sup>[ (ड) अभिभावक—अध्यापक एसोसियेशन की रचना।]
- <sup>4</sup>[16— (1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे ।

बोर्ड द्वारा बनाये गये विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति

<sup>1.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम सं0 6, 1959 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 34 द्वारा अन्तर्विष्ट ।

<sup>4.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० २६, १९७५ की धारा १२ द्वारा बढ़ाया गया।

(2) The State Government may sanction any such regulation proposed by the Board either without modification or with such modification as it thinks fit. |1

#### Scheme of Administration

- <sup>2</sup>[ 16-A. (1) Notwithstanding anything in any law, document, or decree or order of a Court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration (hereinafter referred to as the Scheme of Administration) for every institution, whether recognized before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1958. The Scheme of Administration shall amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management (hereinafter called the Committee of Management) vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution]. <sup>3</sup>[The head of the institution]; and two teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority, in the manner to be prescribed by regulations, shall be ex-officio members of the Committee of Management with a right to vote.
- (2) No member of the Committee of Management shall either attend a meeting of the committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.
- (3) The Scheme of Administration shall also describe, subject to any regulations, the respective powers, duties and functions of <sup>4</sup>[the head of the institution] and Committee of Management in relation to the institution.
- (4) Where more than one recognized institution is maintained by a body or authority there shall be separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the regulations for any class of institutions.
- (5) The Scheme of Administration of every institution on shall be subject to the approval of the Director and no amendment or change in the Scheme of Administration shall be made at any time without the prior approval of the Director.
- <sup>5</sup> [Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Director refusing to approve an amendment or change in the Scheme of Administration, the State Government, on the representation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest of the institution, order the Director to approve of the same, and thereupon the Director shall act accordingly.]
- (6) Every recognized institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with sub-section (1) to sub-section (5) and sections 16-B and 16-C.

<sup>1.</sup> Ins. by sec. 12 of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>2.</sup> Sections 16-A to 16-I added by sec. 7 of U. P. Act No. XXXV of 1958.

<sup>3.</sup> Subs. by sec. 13 (a) of U.P. Act No. 26, 1975.

<sup>4.</sup> Subs. by sec. 13 (a) ibid.

<sup>5.</sup> Ins. by s. 13 (c) of U.P. Act No. 26, 1975.

- (2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।]<sup>1</sup>
- 2 [ 16-क- (1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिये एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत् पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ—साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत् पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामले के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा । 3 [संस्था के प्रधान] तथा उसके दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी—बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हें मत देने का अधिकार होगा ।

प्रशासन योजना

- (2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से संबंधित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।
- (3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में <sup>4</sup>[संस्था के प्रधान] तथा प्रबन्ध समिति के अलग—अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बतायें जायेंगे ।
- (4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिये उस समय तक अलग—अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिये अन्यथा व्यवस्था न की गई हो ।
- (5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा:

<sup>5</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाविधकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।]

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 16—ख और 16—ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा ।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० २६, 1975 की धारा 12 द्वारा रखी गयी ।

<sup>2.</sup> धारायें 16.क से 16.झ तक उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1958 की धारा 7 द्वारा बढ़ायी गयी ।

<sup>3.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा १३ (क) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>4.</sup> उपर्युक्त की धारा 13 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>5.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा १३ (ग) द्वारा बढ़ायी गयी।

<sup>1</sup>[ (7) Whenever there is dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Regional Deputy Director of Education, upon such enquiry as is deemed fit to be in actual control of its affairs may, for purposes of this Act, be recognized to constitute the Committee of Management of such institution until a court of competent jurisdiction directs otherwise:

Provided that the Regional Deputy Director of Education shall, before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to make representations in writing.

**Explanation**—In determining the question as to who is in actual control fo the affairs of the institution, the Regional Deputy Director of Education shall have regard to the control over the funds of the Institution and over the administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under subsection (5) and other relevant circumstances.

- **16-B.** (1) In the case of an institution already recognized at the date of the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1958, a draft of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his approval in accordance with section 16-C within six months from the said commencement and in all other cases along with the application for recognition.
- (2) If an institution which is already recognized at the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1958, fails to comply with the provision of sub-section (1) within the period provided therefor, the Director shall send a notice to such institution requiring it to submit the Scheme of Administration within a further period of three months:

Provided that on a representation by the institution prior to the expiry of the extended period the Director may in his discretion allow a further extension for a period of three months.

- (3) If the Scheme of Administration is not submitted within the time allotted the Director shall take action in accordance with  $^2$ [subsection (3) of section 16-D.]
- **16-C.** (1) <sup>3</sup>[Subject to the provisions of this Act] the Director shall within such period of time as may be prescribed, either approve the draft Scheme of Administration submitted under section 16-B, or suggest any alteration or modification therein. Whenever the Director shall so suggest any alteration or modification in the Scheme of Administration he shall send a copy of the same to the institution giving his reasons therefor and affording an opportunity to the institution to make a representation, within such period of time as may be prescribed:

<sup>1.</sup> Ins. by sec. 3 of U. P. Act No. 01 of 1981.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 4 of U. P. Act No. 01 of 1981.

<sup>3.</sup> Subs. by sec. 5 of U. P. Act No. 01 of 1981.

<sup>1</sup>[ (7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के संबंध में कोई विवाद हो, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जिसे उचित समझा जाय, उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय गठित ऐसी संख्या की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती है जब तक कि सक्षम अधिकारितायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे:

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, प्रतिद्वन्दी दावेदारी को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

स्पष्टीकरण — इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संख्या के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण की उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।]

- 16—ख—(1) किसी संस्था के इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से छः महीने के भीतर, तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिए दिये गये आवेदन—पत्र के साथ प्रशासन योजना का एक प्रारूप तैयार किया जायेगा और उसे धारा 16—ग के अनुसार निदेशक की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (2) यदि कोई संस्था, जो इन्टरमीडिएट एजुकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958 के पूर्व मान्यता प्राप्त कर चुकी हो, उपधारा (1) के उपबन्धों का तदर्थ नियत अवधि के भीतर पालन न करे, तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उससे तीन महीने की और अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने को कहा जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अविध के समाप्त होने के पूर्व संस्था द्वारा अभ्यावेदन किये जाने की दशा में निदेशक अपने विवेकानुसार अविध तीन महीने के लिये और बढ़ा सकता है ।

- (3) यदि दिये हुए समय के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक <sup>2</sup>[धारा 16—घ की उपधारा (3)] के अनुसार कार्यवाही करेगा ।
- 16—ग—(1) ³ [इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए] निदेशक ऐसी समयाविध के भीतर, जो विहित की जाय, या तो धारा 16—ख के अधीन प्रस्तुत किये गये प्रशासन योजना—प्रारूप को स्वीकृत करेगा या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा । यदि निदेशक, प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन या परिष्कार का इस प्रकार से सुझाव देगा तो वह उसके लिये अपने कारण बताते हुए और संस्था को ऐसी समयाविध के भीतर, जो विहित की जाय, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संस्था को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा:

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ०१, १९८१ की धारा ३ द्वारा रखी गयी ।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ०१, १९८१ की धारा ४ द्वारा प्रस्थापित ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ०१, १९८१ की धारा ५ द्वारा प्रस्थापित ।

Provided that if the Director does not suggest any alteration or modification in the Draft Scheme of Administration within the period of time prescribed by regulations, the Draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved.

(2) The Director shall consider any representation made in accordance with the provision of sub-section (1) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to the alteration and modification suggested under the said sub-section or with any other changes as may appear to him to be just and proper:

Provided that where the Director propose to make a new alteration or modification in the Scheme of Administration he shall give an opportunity to the institution to make a representation to him within such period of time as may be prescribed.

- <sup>1</sup>[16-CC. The Scheme of Administration in relation to any institution whether recognized before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, shall not be inconsistent with the principles laid down in the Third Schedule.
- **16-CCC.** (1) Where in relation to any institution, the Scheme of Administration has been or deemed to have been approved under section 16-A or section 16-B or section 16-C. at any time before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, and such Scheme of Administration is inconsistent with the provisions of this Act, the Director shall send, within a period of <sup>2</sup>[three years] from such commencement, a notice to such institution suggesting any alteration or modification therein and requiring the institution to submit a fresh Scheme of Administration or to amend or alter the existing Scheme.
- (2) While making any suggestion in the Scheme of Administration under sub-section (1), the Director shall give his reasons therefor and shall also afford an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified in the notice.
- (3) The Director shall consider any representation made in accordance with sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to any alteration or modification suggested under sub-section (1) or with any other changes as may appear to him to be just and proper:

Provided that where the Director proposes to make any new alteration or modification in the Scheme of Administration, he shall give an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified by him.]

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 6 of U. P. Act No. 01 of 1981.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 2 of U. P. Act No. 06 of 1984.

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना—प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयाविध के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना—प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा ।

(2) निदेशक उपधारा (1) के उपबन्ध के अनुसार किये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और वह प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उक्त उपधारा के अन्तर्गत सुझाये गये परिवर्तन या परिष्कार के अधीन रहते हुए या ऐसे किन्ही अन्य परिवर्तनों सहित, जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हों, स्वीकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासित योजना में कोई नया परिवर्तन या परिष्कार करने का प्रस्ताव करे तो वह संस्था को ऐसी समयाविध के भीतर, जो विहित की जाय, अभ्यावेदन करने का अवसर देगा ।

<sup>1</sup>[16–गग– किसी ऐसी संस्था, जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना, तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तों से असंगत न होगी ।

- 16-गगग- (1) जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इण्टरमीडिएट, शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16-क, या धारा 16-ख या धारा 16-ग के अधीन अनुमोदित हो या अनुमोदित समझी गयी हो, और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो, वहाँ निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के 2[तीन वर्ष] की अविध के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अविध के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा ।
- (3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिये गये किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुये या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे वह विनिर्दिष्ट करें, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।]

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ०१, १९८१ की धारा ६ द्वारा प्रस्थापित ।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ६, 1984 की धारा २ द्वारा प्रस्थापित ।

- <sup>1</sup>[16-D. (1) The Director may cause a recognized institution to be inspected from time to time.
- (2) The Director may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.
- (3) On the receipt of information or otherwise, the Director is satisfied that  $\,$
- (i) the Committee of Management of an institution has failed to comply with the judgment of any court or any direction made under this Act or any other law for the time being in force; or
- (ii) the Committee has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standard in the institution or has appointed or retained in service any teaching or non-teaching staff in contravention of the provisions of this Act or the Regulations; or
- (iii) any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of the Committee of Management has affected the smooth and orderly administration of the institution concerned; or
- (iv) the Committee has persistently failed to provide the institution with such adequate and proper accommodation, library, furniture, stationery, laboratory equipment or other facilities as are necessary for the efficient administration of such institution; or
- (v) the Committee has substantially diverted misapplied or misappropriated the property of the institution to its detriment or has transferred any property in contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974; or
- (vi) the draft of the Scheme of Administration has not been submitted within the time allowed therefor under section 16-B, or that the Management of the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration or the affairs of the institution are being otherwise mis-managed;
- (vii) the Scheme of Administration in relation to an institution, approved before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, is inconsistent with the provisions of this Act and the management of the institution has failed to alter or modify it within a reasonable time despite notice under section 16-CCC;

he may refer the case to the Board for withdrawal of recognition of such institution, or issue notice to the Committee of Management to show cause within thirty days from the date of receipt of such notice why an order under sub-section (4) should not be made.

(4) Where the Committee of Management of an institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (3) or within such extended time as the Director may from time to time allow, or ]

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 6 of U.P. Act No. 01 of 1981.

- 1[16–घ– (1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकता है ।
- (2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है ।
- (3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक का यह समाधान हो जाय कि—
- (एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है ; या
- (दो) समिति ऐसी अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी—वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है; या
- (तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के संबंध में किसी विवाद से, सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है ; या
- (चार) सिमिति संस्था के लिये ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिये आवश्यक है, व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है; या
- (पांच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है, उसका दुरुपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों का उल्लंघन करके अन्तरित किया है : या
- (छः) प्रशासन योजना का प्रारूप धारा 16—ख के अधीन उसके लिये अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन—योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या
- (सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिण्ट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा 16—गगग के अधीन नोटिस दिये जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है;
- तो वह मामले को ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बताये कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय ।
- (4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा निदेशक समय—समय पर अनुमित दे, कारण बताने में विफल रहे, या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या ०१, १९८१ की धारा ६ द्वारा बढ़ाया गया।

[where the Director is after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in sub-section (3) exists, he may, recommend to the State Government to appoint an Authorized Controller for that institution, and thereupon, the State Government may, by order, for reasons to be recorded, authorize any person (hereinafter referred to as the Authorized Controller) to take over, for such period not exceeding two years, as may be specified, the Management of such institution and its properties:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and its properties, it may, from time to time, extend the operation of the order, for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order, but excluding the period specified in sub-section (8), does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorized Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that a Committee of Management has been lawfully constituted.

- (5) If on the receipt of information or otherwise, the State Government is of opinion that in relation to an institution the ground mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, and that the interest of the institution calls for immediate action. It may, notwithstanding anything contained in the said sub-section, issue notice to the Management of such institution to show cause within fifteen days from the date of receipt of such notice why an Authorised Controller be not appointed in respect of such institution.
- (6) Where the Committee of Management of the concerned institution fails to show cause within the time allowed under subsection (5), or within such extended time as the State Government may, from time to time allow, or where the State Government is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, it may by order and for reasons to be recorded, appoint an Authorized Controller in respect of such institution, and thereupon, the provisions of sub-section (4) shall, mutatis mutandis apply.
- (7) Every notice issued by the Director under sub-section (3) on or before the service of the notice referred to in sub-section (5) and not finally disposed of on the date of such service shall, with effect from the said date, be deemed to have been placed in abeyance :

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent the Director to take action upon grounds other than those mentioned in clauses (iii) and (v) of sub-section (3) in case the notice issued by the State Government under sub-section (5) is discharged.

(8) If the State Government is of opinion that immediate suspension of the Committee of Management is also necessary or expedient in the interest of the institution concerned, it may, while issuing notice under sub-section (5), by order and for reasons to be|1

<sup>1.</sup> Ins. By sec. 6 of U.P. Act No. 01, 1981.

[कं पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिये प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है, और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनिधक ऐसी अविध के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था और उसकी सम्पित्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिये ऐसा करना समीचीन है, तो वह समय—समय पर, उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनिधक ऐसी अविध के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अविध जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अविध भी है किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अविध सिम्मिलित न होगी, पांच वर्ष से अधिक न हो:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अविध की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधि पूर्ण गठन हो गया है ।

- (5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के संबंध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय ।
- (6) जहाँ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय—समय पर अनुमित दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) के खंड (तीन) या खंड (पांच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान है वहाँ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे ऐसी संस्था के संबंध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
- (7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किये जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनाँक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से आस्थागित समझी जायगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गयी नोटिस उन्मोचित हो जाय, तो इस उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खंड (तीन) और (पांच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायगी ।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, प्रबन्ध]<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या ०१, १९८१ की धारा ६ द्वारा बढ़ाया गया।

[recorded, suspend the Committee of Management and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the institution pending the order that may subsequently be made under sub-section (6);

Provided that the suspension shall not remain in force for more than six months from the date it becomes effective.

**Explanation I** — For the removal of doubts it is hereby declared that in computing the period of time specified in subsection (4) or sub-section (8), the time during which the operation of the order was suspended by the High Court in exercise of the powers under Article 226 of the Constitution shall be excluded.

**Explanation II** — Nothing in sub-section (4) or <sup>1</sup>[sub-section (6)] shall preclude the State Government from revoking an order of appointment of an Authorized Controller appointed under any of the said provisions.

- (9) Nothing in this section shall be construed to confer on the Authorized Controller appointed under sub-section (4) or sub-section (8), the power to transfer any immovable property belonging to the institution (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid for the institution from the State Government or the Government of India.)
- (10) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument (including any Scheme of Administration) relating to the management and control of the institution or its property:

Provided that the property of the institution and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the institution as provided in any such instrument.

- (11) The Director may give to the Authorized Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the institution or its properties, and the Authorized Controller shall carry out those directions.
- (12) No order made by the Board withdrawing recognition in pursuance of a reference made under sub-section (3) and no order made or direction given under this section by the Director or the State Government shall be called in question in any court, and no injunctions shall be granted by any court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this section.
- (13) The powers conferred by this section shall be in addition to, and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law for the time being in force.] <sup>1</sup>

<sup>1.</sup> Ins. by s. 6 of U.P. Act No. 01, 1981

[सिमिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अविध के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनाँक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

स्पष्टीकरण—एक— सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयाविध की गणना करने मे उतनी अविध को अपवर्जित किया जायगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो ।

स्पष्टीरकण—दो— उपधारा (4) या <sup>1</sup>[उपधारा (6)] की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश की प्रतिसंहत करने से प्रवारित नहीं करेगी ।

- (9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य—क्रम में माह प्रति माह किरायें पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकार या भारत सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) की शक्ति है ।
- (10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से संबंधित किसी अन्य अधिनियमिति या किसी लिखत (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा ।

- (11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिये आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा ।
- (12) उपधारा (3) के अधीन किये गये निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेश या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जायेगा ।
- (13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी, न कि उनका अल्पीकरण करेगी।]<sup>1</sup>

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या ०६, १९८४ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित।

- <sup>1</sup>[(14) Nothing contained in sub-section (3) to (13) shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.
- **16-DD.** (1) Wherever an Authorized Controller is appointed under sub-section (4) or sub-section (8) of section 16-D —
- (a) he shall take over the Management of the concerned institution and its properties to the exclusion of its Committee of Management, and shall, subject to such restrictions as the State Government may impose, have all such powers and authority as the Committee would have if the institution and its properties were not taken over under the said sub-sections;
- (b) every person in whose possession, custody or control any property of the institution may be, shall deliver such property to the Authorized Controller forthwith.
- (2) Every person who on the date of the order referred to in subsection (4) or sub-section (8) of section 16-D has in his possession or control any books or other documents relating to the institution or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorized Controller and shall deliver them to him or to such person as the Authorized Controller may specify in this behalf.
- (3) The Authorized Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the institution or its properties or any part thereof and the Collector may take all necessary steps for securing possession to the Authorized Controller of such institution or property and in particular may use or cause to be used such force as may be necessary.

**Explanation** — In this section and section 16-D, unless the content otherwise, requires, 'property' in relation to an institution, includes all property, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the institution including lands, buildings (including hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationary, stores, automobiles and other vehicles, if any, and other things pertaining to the institution, cash in hand, cash at bank, income from fees, boys funds and Government grants, investments and book debts, and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession power or control of the institution and all books of accounts, registers and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind, of the institution. ]<sup>1</sup>

Procedure for selection of teachers and head of institutions [ 16-E. (1) Subject to the provisions of this Act, the Head of Institution and teachers of an institution shall be appointed by the Committee of Management in the manner hereinafter provided.

<sup>1.</sup> Ins. by s. 6 of U.P. Act No. 01 of 1981.

- 1[(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।
- **16–घघ–** (1) जहां धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय, वहां —
- (क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध सिमिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होंगे, जैसे सिमिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती:
- (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा ।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16—घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश को दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिये उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।
- (3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिये जाने के लिये कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

स्पष्टीकरण— इस धारा और धारा 16—घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के संबंध में, "सम्पत्ति" के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सिहत), निर्माण—कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण, उपस्कर, फर्नीचर, लेखन—सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियां, यदि कोई हों, सिम्मिलित है और संस्था से संबंधित अन्य वस्तुयें, हस्तस्थ नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और वही ऋण और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखाबही, रिजस्टर और उससे संबंधित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी है और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी। 1

[16—জ— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेगें ।

अध्यापकों और संस्था के प्रधानों के चयन की प्रक्रिया

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या ०१, १९६१ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित।

- (2) Every post of Head of Institution or teacher of an institution shall, except to the extent prescribed for being filled by promotion, be filled by direct recruitment after intimation of the vacancy to the Inspector and advertisement of the vacancy containing such particulars as may be prescribed, in at least two newspapers having adequate circulation in the State.
- (3) No person shall be appointed as Head of Institution or teacher in an institution unless he possesses the minimum qualifications prescribed by the regulations :

Provided that a person who does not possess such qualification may also be appointed if he has been granted exemption by the Board having regard to his education, experience and other attainments.

- (4) Every application for appointment as Head of Institution or teacher of an institution in pursuance of an advertisement published under sub-section (2) shall be made to the Inspector and shall be accompanied by such fee which shall be paid in such manner as may be prescribed <sup>1</sup>[\*\*\*]
- <sup>2</sup>[(5) (i) After the receipt of applications under sub-section (4), the Inspector shall cause to be awarded, in respect of each such applications, quality-point marks in accordance with the procedure and principles prescribed, and shall thereafter, forward the applications to the Committee of Management.
- (ii) The applications shall be dealt with, the candidates shall be called for interview, and the meeting of the Selection Committee shall be held, in accordance with the Regulations"; ]
- (6) The Selection Committee shall prepare a list containing in order or preference the names as far as practicable, of three candidates for each post found by it to be suitable for appointment and shall communicate its recommendations together with such list to the Committee of Management.
- (7) Subject to the provisions of sub-section (8), the Committee of Management shall on receipt of the recommendations of the Selection Committee under sub-section (6), first offer appointment to the candidate given the first preference by the Selection Committee, and on his failure to join the post, to the candidate next to him in the list prepared by the Selection Committee under this section, and on the failure of such candidate also, to the last candidate specified in such list.
- (8) The Committee of Management shall, where it does not agree with the recommendations of the Selection Committee, refer the matter together with the reasons of such disagreement to the Regional Deputy

<sup>1.</sup> Del. by s. 18 (a) of U. P. Act No. 12 of 1978.

<sup>2.</sup> Subs. by s. 18 (b) of U.P. Act No. 12 of 1978.

- (2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नित द्वारा भरी जाने के लिये विहित सीमा तक के, निरीक्षक को रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम—से—कम दो समाचार—पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।
- (3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो, नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये उसे अर्हता से मुक्त कर दिया हो ।

- (4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन—पत्र ऐसी फीस सहित जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा 1 [ \* \* \* ]
- <sup>2</sup>[(5)—(एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन—पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन—पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन—पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।
- (दो) आवेदन—पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जाना, और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी";]
- (6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के लिये नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाये गये यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान—क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश प्रबन्ध समिति को संसूचित करेगी।
- (7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने से विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।
- (8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति मे

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 18 (क) द्वारा निकाला गया।

<sup>2.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या 12, 1978 की धारा 18 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

Director of Education in the case of appointment to the post of Head of Institution and to the Inspector in the case of appointment to the post of teacher of an institution, and his decision shall be final.

- (9) Where no candidate approved by the Selection Committee for appointment is available, a fresh selection shall be held in the manner laid down in this section.
- (10) Where the State Government, in case of the appointment of Head of Institution, and the Director in the case of the appointment of teacher of an institution, is satisfied that any person has been appointed as Head of Institution or teacher, as the case may be, in contravention of the provisions of this Act, the State Government or, as the case may be, the Director may, after affording an opportunity of being heard to such person, cancel such appointment and pass such consequential order as may be necessary,
- (11) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, appointments in the case of a temporary vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding six months or <sup>1</sup>[by death, termination or otherwise] of an incumbent occurring during an educational session, may be made by direct recruitment or promotion without reference to the Selection Committee in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

<sup>2</sup>[Provided that no appointment made under this sub-section shall, in any case, continue beyond the end of the educational session during which such appointment was made.]

<sup>3</sup>[Absorption of retrenched employees] <sup>3</sup>[ **16-EE.** (1) Where any employee of an institution has been retrenched on or after July 1, 1974 but before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, and such employee possesses minimum qualifications prescribed therefor on the date of initial appointment the Regional Deputy Director of Education shall, on an application made in this behalf, direct that subject to the provisions of this section, such employee be absorbed against any permanent vacancy occurring in the same or any other institution situate in any district within his jurisdiction:

Provided that in the case of an employee retrenched on or after the date of such commencement the Regional Deputy Director of Education may issue directions under this section without any application from the employee concerned.

(2) Every application referred to in sub-section (1) shall be made within six months from the date of commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980.

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 18 (c-1) of U. P. Act No. 12 of 1978.

<sup>2.</sup> Ins. by s. 18 (c-2) ibid.

<sup>3.</sup> Ins. by sec. 7 of U. P. Act No. 01 of 1981.

संभागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

- (9) यदि नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायगा ।
- (10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है जो आवश्यक हो ।
- (11) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अविध के लिये अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति को <sup>1</sup>[मृत्यु, सेवा समाप्ति या अन्य प्रकार] से उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नित द्वारा चयन समिति को निर्देश किये बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्ते के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाये।

<sup>2</sup>[प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो समाप्त के पश्चात् नहीं बनी रहेगी।]

<sup>3</sup>[16—ङङ—(1) जहाँ किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छंटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहां सम्भागीय शिक्षा उप—िनदेशक इस निमित्त आवेदन—पत्र दिये जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय ;

<sup>3</sup>[छंटनी किये गये कर्मचारियों का आमेलन]

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छंटनी किये गये किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन—पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन—पत्र इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा ।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 18 (ग.1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 18 (ग.2) द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1981 की धारा 7 द्वारा बढाया गया

- [(3) Where any direction is issued by the Regional Deputy Director of Education under sub-section (1) the following consequences shall ensure, namely:—
- (i) the Committee of Management of the institution concerned shall be bound to comply with every such direction and the employee in whose favour such direction is issued shall be deemed to be an employee of such institution from the date of the order of appointment issued by the Committee to him or from the expiry of a period of two months from the date of service of the direction on the Committee of Management under sub-section (1), whichever is earlier.
- (ii) the period of substantive service rendered by such employee in any institution before the date of his retrenchment shall be counted for the purposes of his seniority and pension.
- (iii) where the employee concerned fails to join the post within the time allowed therefor, the benefits of this section shall not be available to him.
- (4) Any person aggrieved by the direction issued under subsection (1) may make a representation to the Director within one month from the date of service on him of such direction and the order of the Director thereon shall be final.
- (5) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.
- <sup>2</sup> [(6) Nothing in this section shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.]<sup>2</sup>

#### **Explanation** — For the purposes of this section —

- (a) 'employee' in relation to an institution means a teacher, head of institution or other employee thereof holding a permanent post on the date immediately preceeding the date of retrenchment;
- (b) 'institution' includes a training institution recognized by the State Government or the Director ;
- (c) retrenchment in relation to an employee of an institution means the termination of his services for any reason other than resignation, retirement or removal by way of punishment inflicted in disciplinary proceedings. ]<sup>1</sup>

#### Selection Committees

- **16-F.** (1) For the selection of candidates for appointment as Head of an Institution, there shall be a Selection Committee consisting of —
- (i) the President or any member of the Committee of Management nominated by the Committee by resolution in that behalf, who shall be the Chairman;

<sup>1.</sup> Ins. by sec. 7 of U.P. Act No. 1 of 1981.

<sup>2.</sup> Ins. by sec. 3 of U. P. Act No. 09 of 1981.

- [(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहाँ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —
- (एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किये गये नियुक्ति के आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किये जाने के दिनांक से दो मास की अविध की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायगा ।
- (दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गयी मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेशन के प्रयोजनों के लिये की जायगी।
- (तीन) जहाँ सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिये गये समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहां इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा ।
- (4) उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।
- (5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
- 2[(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नही होगा।]2

#### [स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनार्थ, —

- (क) किसी संस्था के संबंध में "कर्मचारी" का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छंटनी के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को स्थायी पद पर हो :
- (ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था भी है;
- (ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छंटनी" का तात्पर्य त्याग—पत्र, सेवानिवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दंड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है।]<sup>1</sup>
- **16-च्-** (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के **चयन समिति** लिये एक चयन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे : ——
- (i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट करे–जो सभापति होगा :

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या ०१, १९८१ की धारा ७ द्वारा बढ़ाया गया।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९८१ की धारा ३ द्वारा बढ़ाया गया ।

- (ii) a member of the Committee of Management other than the one referred to in clause (i), nominated by it in this behalf;
- (iii) three experts nominated by the Regional Deputy Director of Education from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.
- (2) For the selection of candidates for appointment as teacher in an institution, there shall be a Selection Committee consisting of —
- (i) the President or any member of the Committee of Management, nominated by the Committee by resolution in that behalf, who shall be the Chairman;
  - (ii) the Head of such institution;
- (iii) three experts nominated by the Inspector from persons not belonging to the district in which the institution is situated, out of the panel of names prepared under this section.
- (3) In respect of any institution for which Authorized Controller has been appointed under this Act, the Authorized Controller shall, in relation to such institution be deemed substituted for the person referred to in clause (i) and (ii) of sub-section (1) or clause (i) of subsection (2), as the case may be.
- (4) A panel of experts for every region shall be drawn by the Director in such manner as may be prescribed and shall be revised on every three years.
- (5) The business of the Selection Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed :

Provided that the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of such Committee :

Provided further that no recommendation made by the Selection Committee in respect of any candidate shall be, valid, unless two of the experts referred to in clause (iii) of sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, have agreed to it.

(6) No proceeding of the Selection Committee shall be invalid by reason only of a defect in its constitution or vacancy among its members.

# Savings to minority institutions

**16-FF.** (1) Notwithstanding anything in sub-section (4) of section 16-E, and section 16-F, the Selection Committee for the appointment of a Head of Institution or a teacher of an institution established and administered by a minority referred to in clause (I) of Article 30 of the Constitution shall consist of five members (including its Chairman), nominated by the Committee of Management:

Provided that one of the members of the Selection Committee shall —  $\,$ 

- (ii) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम—निर्दिष्ट खण्ड (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;
- (iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम—निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है।
- (2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :——
- (i) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम—निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा ;
  - (ii) ऐसी संस्था का प्रधान ;
- (iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम—निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।
- (3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (i) और (ii) या उपधारा (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा ।
- (4) प्रत्येक सम्भाग के लिये विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायगी।
  - (5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति से किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (iii) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

- (6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।
- 16-चच- (1) धारा 16-ङ की उपधारा (4) में और 16-च में किसी बात के होते हुये भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट (सभापित को सम्मिलित करते हुये) पांच सदस्य होंगे :

अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक-

- (a) in the case of appointment of the Head of an Institution, be an expert selected by the Committee of Management from a panel of experts prepared by the Director;
- (b) in the case of appointment of a teacher be the Head of the Institution concerned.
- (2) The procedure to be followed by the Selection Committee referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.
- (3) No person selected under this section shall be appointed, unless  $\,$
- (a) in the case of the Head of an Institution the proposal of appointment has been approved by the Regional Deputy Director of Education; and
- (b) in the case of a teacher such proposal has been approved by the Inspector.
- (4) The Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, shall not withhold approval for the selection made under this section where the person selected possesses the minimum qualifications prescribed and is otherwise eligible.
- (5) Where the Regional Deputy Director of Education or the Inspector, as the case may be, does not approve of a candidate selected under this section, the Committee of Management may, within three weeks from the date of receipt of such disapproval, make a representation to the Director in the case of the Head of Institution, and to the Regional Deputy Director of Education in the case of a teacher.
- (6) Every order passed by the Director or the Regional Deputy Director of Education on a representation under sub-section (5) shall be final.

Provisions for assistance during examination

- <sup>1</sup>[16-FFF. (1) For the conduct of Board's examinations, evaluation of answer-books in such examination and preparation of result thereof, the Committee of Management, Head of Institution, every teacher and other employee in relation to an institution, shall render such assistance, perform such duties and discharge such functions as may be required entrusted or assigned to it or him by or under this Act.
- (2) Where the Director is satisfied that any such Committee Head of Institution, teacher or employee has failed to carry out any direction issued under sub-section (1), he may, for the conduct of Board's Examinations, evaluation of answer-books in such examination or preparation of result thereof, take such measures (including requisition and taking possession of the building, furniture or any other property of the institution) and for such period as appear to him to be necessary therefor ]

<sup>1.</sup> Ss. 16-E, 16-F, 16-FF and 16-FFF subs. by s. 14 of U. P. Act no. 26 of 1975.

- (क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा ;
  - (ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा ।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय ।
- (3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा, जब तक ——
- (क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो ; और
- (ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।
- (4) सम्भागीय शिक्षा उप—िनदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबिक चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो ।
- (5) जहाँ सम्भागीय शिक्षा उप—िनदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है ।
- (6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा ।

<sup>1</sup>[16—चचच— (1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित, सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा, और कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिये उपबन्ध

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी सिमिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उसका परीक्षाफल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिये कर सकता है । जो उसे उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० २६, 1975 की धारा 14 द्वारा धारायें 16—ड़, 16—च, 16—चच एवं 16—चचच रखी गई ।

<sup>1</sup>[Conditions of service of Head of Institutions, teacher and other employees]

- **16-G.** (1) Every person employed in a recognized institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by Regulations and any agreement between the management and such employee in so far as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the Regulations shall be void.
- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the Regulations may provide for —
- (a) the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment, <sup>2</sup> [including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude] and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice;
  - (b) the scales of pay, and payment of salaries;
- (c) transfer of service from one recognized institution to another.
  - (d) grant of leave and Provident Fund and other benefits, and
  - (e) maintenance of record of work and service,
- (3) (a) No Principal, Headmaster or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subject to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Inspector. The decision of the Inspector shall be communicated within the period to be prescribed by regulations.
- (b) The Inspector may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the management :

Provided that in the cases of punishment, before passing orders the Inspector shall give an opportunity to the Principal, the Headmaster or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

<sup>3</sup>[(c) Any party may prefer an appeal to the Regional Deputy Director, Education, against an order of the Inspector under clause (b), whether passed before or after the commencement of the Uttar Pradesh Intermediate Education (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966, within one month from the date of communication of the order to that party, and the Regional Deputy Director may, after such further enquiry, if any, as he considers necessary, confirm, set aside or modify the order, and the order passed by the Regional Deputy Director shall be final. In case the order under appeal was passed by the very person holding the office of Regional Deputy Director while acting as Inspector, the appeal

<sup>1.</sup> Subs. by s. 15(1) of U.P. Act No. 26, 1975

<sup>2.</sup> Subs. by s. 15 (II) of U.P. Act No. 26, 1975

<sup>3.</sup> Subs. by s. 2 (1) of U.P. Act 07 of 1966.

16-छ—(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तो द्वारा शासित होगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाये और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा ।

- 1 [संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्ते]
- (2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है —
- (क) परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्ते और पदोन्नती तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्ते, <sup>2</sup>[जिसके अन्तर्गत जांच या अवेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दिण्डित मामले में अन्वेषण, जांच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अविध के लिए उपलिखयां और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सिम्मलित है;
  - (ख) वेतन-क्रम तथा वेतनों का भुगतान ;
  - (ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण ;
  - (घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ ; और
  - (ड़) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना ।
- (3) (ए) कोई भी प्रिसिंपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा, और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा । निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायगी जो विनियमों द्वारा विहित की जाय ।
- (बी) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ा सकता है या सेवायें समाप्त करने के नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय ।

<sup>3</sup>[(सी) कोई पक्ष खण्ड (बी) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध चाहे वह इन्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर सम्भागीय शिक्षा उप—िनदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, और सम्भागीय उप—िनदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा । यदि वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, सम्भागीय उप—िनदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह

<sup>1.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या २६, 1975 की धारा 15 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 15 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3.</sup> उ०प्र० अधिनियम संख्या VII, 1966 की धारा 2(1) द्वारा प्रतिस्थापित।

shall be transferred by order of the Director to some other Regional Deputy Director to some other Regional Deputy Director for decision, and the provisions of this clause shall apply in relation to decision by that other Regional Deputy Director as if the appeal had been preferred to him. ]<sup>1</sup>

- <sup>2</sup>[(d) All appeals preferred under clause (c) as it stood before the date of commencement of the Intermediate Education (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966, and pending decision immediately before the said date shall be decided by the Regional Deputy Director Education in accordance with clause (c) as substituted by the said Adhiniyam.]
- (4) An order made or decision given by the competent authority under sub-section (3) shall not be questioned in any Court and the parties concerned shall be bound to execute the directions contained in the order or decision within the period that may be specified therein.
- <sup>3</sup>[ (5) No Head of Institution or teacher shall be suspended by the Management, unless in the opinion of the Management —
- (a) the charges against him are serious enough to merit his dismissal, removal or reduction in rank; or
- (b) his continuance in office is likely to hamper or prejudice the conduct of disciplinary proceedings against him; or
- (c) any criminal case of an offence involving moral turpitude against him is under investigation, inquiry or trial.
- (6) Where any Head of Institution or teacher is suspended by the Committee of Management, it shall be reported to the Inspector within thirty days from the date of the commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Laws (Amendment) Act, 1975, in case the order of suspension was passed before such commencement, and within seven days from the date of the order of suspension in any other case, and the report shall contain such particulars as may be prescribed and be accompanied by all relevant documents.
- (7) No such order of suspension shall, unless approved in writing by the Inspector, remain in force for more than sixty days from the date of commencement of the Uttar Pradesh Secondary Education Laws (Amendment) Act, 1975, or as the case may be, from the date of such order, and the order of the Inspector shall be final and shall not be questioned in any Court.
- (8) If, at any time the Inspector is satisfied that disciplinary proceedings against the Head of Institution or teacher are being delayed, for no fault of the Head of Institution or the teacher, the inspector may, after affording opportunity to the Management to make representation, revoke an order of suspension passed under this section.

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 2(i) of U. P. Act No. VII of 1966.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 2 (ii) of U. P. Act No. VII of 1966.

<sup>3.</sup> Subs. by sec. 15 (iii) of U.P. Act No. 26, 1975.

अपील किसी अन्य सम्भागीय उप—िनदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस सम्भागीय उप—िनदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील उसी के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। ]1

- <sup>2</sup>[(डी) खण्ड (सी) के अधीन, जैसा कि वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अिधनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गई सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अिधनियम द्वारा यथा—प्रतिस्थापित खण्ड (सी) के अनुसार सम्भागीय शिक्षा उप—निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेंगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपित्त न की जायगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अविध के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, निष्पादित करने के लिए बाध्य होंगे।
- ³[(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में ——
- (क) उसके विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसकी पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय ; या
- (ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ; या
- (ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित हो ।
- (6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।
- (7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।
- (8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गए निलम्बन के आदेश की प्रतिसंहृत कर सकता है।

<sup>1.</sup> उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 7, 1966 की धारा 2 (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2.</sup> उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम संख्या २६, १९७५ की धारा १५ (iii) द्वारा प्रतिस्थापित।

(9) All appeals pending before the Deputy Director of Education (Women) immediately before the commencement of this sub-section shall be transferred to the Joint Director of Education (Women) for disposal:

Provided that where the Deputy Director of Education (Women) has already commenced the hearing of any such appeal before the commencement of this sub-section, the appeal shall be disposed of by the Deputy Director of Education (Women) herself.

**Explanation**— For the purposes of this section, the expression 'Regional Deputy Director, Education' shall, in relation to a girl institution means the Joint Director of Education (Women). ]<sup>1</sup>

Regularization of appointment of ad-hoc teachers

**2[16-GG.** (1) Notwithstanding anything contained in sections 16-E, 16-F and 16-FF, every teacher of an institution appointed between August 18, 1975 and September 30, 1976 (both dates inclusive) on *ad-hoc* basis against a clear vacancy and possessing prescribed qualifications or having been exempted from such qualifications in accordance with the provisions of this Act, shall, with effect from the date of commencement of this section, be deemed to have been appointed in a substantive capacity, provided such teacher has been continuously serving the institution from the date of his appointment up to the commencement of this section.

**Explanation**—For the purposes of this sub-section, the period during which any break in service of teacher has occurred between the date of his ad-hoc appointment and the date of commencement of this section for any reason not arising out of his misconduct or his own volition shall be disregarded:

Provided that nothing in this section shall be construed as entitling such teacher to any pay or allowance for any such period of break in his service.

- (2) Every teacher deemed to have been appointed in a substantive capacity under sub-section (1) shall be deemed to be on probation from the date of commencement of this section.
- (3) Nothing in this section shall be construed to entitle any teacher to -
- (a) substantive appointment on any post if on the date of commencement of this section, such post has already been filled or selection for such post has already been made in accordance with this Act or the regulations made thereunder; or
- (b) substantive appointment if such teacher was related to any member of the Committee of Management or the Principal or Headmaster of the institution concerned.

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 15 (iii) of U. P. Act No. 26 of 1975.

<sup>2.</sup> Ins. by sec. 35 of U. P. Act No. 5 of 1977.

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिए अन्तरित हो जायेंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में पद सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा । ]¹

<sup>2</sup>[ 16—छछ—(1) धारा 16—इ, 16—च और 16—चच में, किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक को जो 18 अगस्त, 1975 और 30 सितम्बर, 1976 (जिसमें दोनों दिनांक सम्मिलित हैं) के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और विहित अर्हतायें रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायगा, बशर्ते कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो ।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ उस अवधि, जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई व्यवधान किसी ऐसे कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है, पर ध्यान नहीं दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिये किसी वेतन या भत्ते का हकदार है ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापकों को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा ।
- (3) इस धारा की किसी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक—
- (क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या
- (ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था के प्राचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेड मास्टर), या उसकी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य का सम्बन्धी है ।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० २६, १९७५ की धारा १५ (३) द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९७७ की धारा ३५ द्वारा बढ़ाया गया।

**Explanation** — For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be related to another if —

- (a) they are members of a Hindu undivided family; or
- (b) they are husband and wife; or
- (c) the one is related to the other in the manner indicated in the  $^{1}[Second\ Schedule]$

Exemption of certain classes of institutions from the operation of certain sections

- **16-H.** (1) The provisions of sections 16-A, 16-B, 16-C, <sup>2</sup>[subsection (2) to sub-section (13)] of section 16-D and of sections 16-E, 16-F and 16-G, shall not apply to recognized institutions maintained by the State Government or the Central Government.
- (2) In the case of recognized institutions maintained by a local body, the State Government may declare that all or any of the provisions referred to in sub-section (1) shall not apply or shall apply subject to such alterations, modifications or additions as it may make <sup>3</sup> [and the provisions, if any, so made applicable, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force ].
- **16-I.** Subject to the approval of the State Government, the Director may, by a notification in the official *Gazette*, delegate all or any of the powers conferred upon him by or under this act, except the powers which he exercises as Chairman of the Board, to an officer or officers of the Education Department not lower in rank than a Deputy Director of Education.

#### **17.** 4[ \* \* \* ]

### Casual vacancies

**18.** All casual vacancies among the members (other than *exofficio* members) of the Board or of a Committee appointed by the Board shall be filled as soon as conveniently may be by the person or body who <sup>5</sup> [elected or nominated] to a casual vacancy shall be a member of the Board or Committee for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Proceedings not invalidated by reason of vacancies **19.** No act or proceedings of the Board or of a Committee appointed by it shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Power of Board and committee to make bye-laws

- ${\bf 20.}$  (1) The Board and its Committees may make by e-laws consistent with this Act and the Regulations —
- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

<sup>1.</sup> Subs. by sec. 19 of U. P. Act no. 12 of 1978.

<sup>2.</sup> Subs. by sec. 8 of U. P. Act no. 1 of 1981.

<sup>3.</sup> Ins. by sec. 36 of U. P. Act no. 5 of 1977.

<sup>4.</sup> Omit. by sec. 7 of U. P. Act no. 5 of 1941.

<sup>5.</sup> Subs. by sec. 16 of U. P. Act no. 26 of 1975.

स्पष्टीकरण :— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को दूसरे से संबंधित समझा जायगा, यदि ——

- (क) वे हिन्दू अविभक्त कूटुम्ब के सदस्य हों ; या
- (ख) वे पति और पत्नी हों ; या
- (ग) <sup>1</sup>[द्वितीय अनुसूची] में इंगित रीति से एक दूसरे से संबंधित हों।

**16-ज-** (1) धारा 16-क, 16-ख, 16-ग, धारा 16-घ की <sup>2</sup>[उपधारा (2) से (13)] तक के तथा धारा 16-ड़, 16-च तथा 16-छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे ।

संस्थाओं के कतिपय वर्गों की कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति

- (2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में, राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होंगे या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्द्धनों के साथ लागू होंगे, जो वह करे <sup>3</sup>[और इस प्रकार लागू किये गये उपबन्ध, यदि कोई हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।]
- 16—झ—राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापित के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप—निदेशक से निम्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है ।

18—बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को <sup>5</sup>[निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट] किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो, और किसी आकरिमक रिक्ति में <sup>5</sup>[निर्वाचित या नाम—निर्दिष्ट] किया गया कोई व्यक्ति, बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो ।

आकस्मिक रिक्तियां

19-बोर्ड का या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां विद्यमान थी।

कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

**20**–(1) बोर्ड तथा उसकी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है जिनमें —

मतदान करने की शर्तें

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय :

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 12, 1978 की धारा 19 द्वारा प्रतिस्थापित ।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 1, 1981 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1977 की धारा 36 द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>4.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1941 की धारा 7 द्वारा निकाला गया ।

<sup>5.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० २६, १९७५ की धारा १६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

- (b) providing for all matters which, consistently with this Act, and the Regulations, are to be prescribed by bye-laws; and
- (c) providing for all other matters solely concerning the Board and its Committees and not provided for by this Act and the Regulations.
- (2) The Board and its Committees shall make bye-laws providing for the giving of notice to the members of the Board or Committee of the dates of meetings, and of the business to be considered at meetings, and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.
- (3) The Board may direct the amendment of rescission of any bye-law made by a Committee under this section, and the Committee shall give effect to any such direction.

Protection for acts done, etc. in good faith

<sup>1</sup>[21. No suit, prosecution or other legal proceedings, shall lie against the State Government the Board or any of its Committees or any member of the Board or a Committee or any other person in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, order or direction made thereunder.

Bar or Jurisdiction of Courts **22.** No order or decision made by the Board or any of its committees it exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any court.]

2[ \* \* \* \* \* \* \* ]

#### [SECOND]<sup>3</sup> [SCHEDULE]<sup>4</sup>

#### (See SECTION 16-GG)

#### List of Relatives

- 1. Father
- 2. Mother (including step-mother)
- 3. Son (including step-son)
- 4. Son's wife
- 5. Daughter (including step-daughter)
- 6. Father's father
- 7. Father's mother
- 8. Mother's mother
- 9. Mother's father

<sup>1.</sup> Add. by sec. 3 of U. P. Act no. VII of 1966.

<sup>2.</sup> Omit. by s. 5 of U. P. Act no. 16 of 2008. (1st Schedule)

<sup>3.</sup> Renumbered by section 20 of U. P. Act No. 12 of 1978.

<sup>4.</sup> Ins. by sec. 37 of U.P. Act No. 5 of 1977.

- (ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत रहते हुए उप–विधियों द्वारा विहित किए जाने हैं ; और
- (ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गई हो ।
- (2) बोर्ड और उसकी सिमतियाँ बोर्ड या सिमिति के सदस्यों को बैठकों के दिनांक और उसमें सम्पादित किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उप–विधियां बनायेगी।
- (3) बोर्ड समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गई किसी उप—विधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निदेश को कार्यान्वित करेगी ।
- <sup>1</sup>[21— राज्य सरकार, बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत हो।

22– इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी। सद्भावना से किए गए कार्य आदि के लिए संरक्षण

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक

2 \* \* \* \* \* \* \* |

[द्वितीय]<sup>3</sup> [अनुसूची]<sup>4</sup> (धारा 16—छछ देखिये) सम्बन्धियों की सूची

1-पिता

2-माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)

3-पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)

4-पुत्र-वधू

5-पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)

6-पिता का पिता

7-पिता की माता

8-माता की माता

9-माता का पिता

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ७, १९६६ की धारा ३ द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>2.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० 16, 2008 की धारा 5 द्वारा निकाला गया । (प्रथम अनुसूची)

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० १२, १९७८ की धारा २० द्वारा पुनः संशोधित।

<sup>4.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1977 की धारा 37 द्वारा बढ़ाया गया।

- 10. Son's son
- 11. Son's son's wife
- 12. Son's daughter
- 13. Son's daughter's husband
- 14. Daughter's husband
- 15. Daughter's son
- 16. Daughter's son's wife
- 17. Daughter's daughter
- 18. Daughter's daughter's husband
- 19. Brother (including step-brother)
- 20. Brother's wife
- 21. Sister (including step-sister)
- 22. Sister's husband
- 23. Wife's (or husband's) brother
- 24. Wife's (or husband's) father
- 25. Wife's (or husband's) sister
- 26. Brother's son
- 27. Brother's daughter |1

#### <sup>2</sup>[THIRD SCHEDULE]

(See section 16-CC)

## Principles on which approval to a Scheme of Administration shall be accorded

Every Scheme of Administration shall, —

- (1) provide for proper and effective functioning of the Committee of Management;
- (2) provide for the procedure for constitution the Committee of Management by periodical elections;
- (3) provide for the qualifications and disqualifications of the members and office-bearers of the Committee of Management and the term of their offices :

Provided that no such Scheme shall contain provisions creating monopoly in favour of any particular person, caste, creed,  $^3[$  \* \* \* ] or family;

<sup>1.</sup> Ins. by s. 37 of U. P. Act No. 5 of 1977.

<sup>2.</sup> Ins. by s. 9 of U. P. Act No. 01 of 1981.

<sup>3.</sup> Omit. by s. 4 of U. P. Act no. 09 of 1981.

- 10-पुत्र का पुत्र
- 11-पुत्र की पुत्र-वधू
- 12-पुत्र की पुत्री
- 13-पुत्र की पुत्री का पति
- 14-पुत्री का पति
- 15-पुत्री का पुत्र
- 16-पुत्री की पुत्र-वधू
- 17-पुत्री की पुत्री
- 18-पुत्री की पुत्री का पति
- 19-भाई (जिसके सौतेला भाई भी सम्मिलित है)
- 20-भाई की पत्नी
- 21-बहिन (जिसमें सौतेली बहिन भी सम्मिलित है)
- 22-बहिन का पति
- 23-पत्नी (या पति) का भाई
- 24-पत्नी (या पति) का पिता
- 25-पत्नी (या पति) की बहन
- 26-भाई का पुत्र
- 27—भाई की पुत्री  $]^1$

## <sup>2</sup>[ तृतीय अनुसूची ] (धारा 16—गग देखिये)

#### सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा

प्रत्येक प्रशासन योजना में, —

- (1) प्रबन्ध समिति के समृचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी ।
- (2) नियमकालिका निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी।
- (3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ <sup>3</sup>[ \* \* \* ] या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों ।

<sup>1.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९७७ की धारा ३ द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>2.</sup> उ0 प्र0 अधिनियम सं0 1, 1981 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।

<sup>3.</sup> उ० प्र० अधिनियम सं० ९, १९८१ की धारा ४ द्वारा निकाला गया ।

- (4) provide for the procedure of calling meetings and the conduct of business at such meetings ;
- (5) provide that all the decisions shall be taken by the Committee of Management and powers of delegation, if any, shall be limited and clearly defined;
- (6) ensure that the powers and duties of the Committee of Management and its office bearers are clearly defined;
- (7) Provide for the maintenance and security of property belonging to the institution and also for the utilization of its funds and for the regular checking and auditing of accounts. ]

- (4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी।
- (5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किये जाये और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो, सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी ।
- (6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हों ;
- (7) संस्था की सम्पत्ति के अनुसरण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जांच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।

विधान पुरस्ति । (राजकीय प्रकाशन् ) उत्तर प्रदश्न, लखनऊ

# इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1972)

्र विसार प्रदेश विधान संगा ने विनांक 5 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 जनवरी, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

ANGER BERTEIL BERTEILE BERTEIL

[ 'मारत का संविधान' के धनुच्छेद 201 के धन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 29 जून, 1972 ई० हो स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी श्रसाधारण गजट में दिनांक 3 जुलाई, 1972 ई० को प्रकाशित हुसा । ]

इन्टरमीडिएट शिक्षा श्रिघिनियम ,1921 में श्रग्रेतर संशोधन करने के लिये

## ग्रधिनियम

भारत गण्राज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित भ्रघिनियम बनाया जाता है :---

- 1-यह ग्रिविनियम इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) ग्रिविनियम, 1972 कहलायेगा ।
- 2—इन्टरमीडिएट शिक्षा ग्रिधिनियम, 1921 (जिसे एतद्पश्चात् 'मूल ग्रिधिनियम' कहा गया है) की घारा 16-व में
  - ्(क) उपचारा (4) में, उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड श्रौर उसके ठीक पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा तथा प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायें, ग्रर्थात्—

"ऐसा ग्रादेश दिये जाने की ग्रविध प्रथमतः एक वर्ष से ग्रिधिक की न होगी: प्रितिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के उचित प्रबन्ध को ग्रनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर ग्रादेश का प्रवर्तन ऐसी ग्रविध के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से ग्रिधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार कि उक्त ग्रादेश के प्रवर्तन की कुल ग्रविध, जिसके ग्रन्तर्गत इस उपधारा के ग्रवीन प्रारम्भिक ग्रादेश में निर्दिष्ट ग्रविध भी है, पांच वर्ष से ग्रिधिक न हो:

अप्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे आदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती है ;";

संयुक्त प्रान्त ग्रविनियम संख्या 2, 1921

संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त ग्रिविनयम संस्था 2, 1921 की धारा 16-घ का संशोधन

<sup>[</sup>उद्देश्य ग्रीर कारगों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 30 अगस्त, 1971ई० का सरकारी श्रसाधारण गजट देखिये ।]

(स) उपवारा (5) में शब्द, "उक्त संस्था के लेन लिये जाने" के स्थान पर सब्द "आदेश न दिये जाने" रख दिये जायं, तथा निम्नलिखित को उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के

रूप में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

''प्रतिबन्घ यह है कि इस उपघारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इससे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य कम में माह प्रति माह किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने (सिवाय राज्य सरकारे से संस्था के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) का अधिकार प्राप्त होता है।";

(ग) उपघारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपघारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात् :---

"(5-क) यदि उपधारा (4) में अभिदिष्ट सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उस उपघारा के पैरा (क) अथवा पैरा (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों के विद्यमान होने का समाधान हो जाय और यह भी समाधान हो जाय कि विशेष और अपवादिक कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, उस उपघारा के अधीन कार्यवाही करना पर्याप्त रूप से प्रभावकारी नहीं होगा और संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उसका प्रयन्य तरन्त एक प्राधिकृत नियन्त्रक को सौंपा जाय, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसी अविध के लिये जो आदेश में निर्दिष्ट की जायं प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति कर सकती है और वह प्राधि-कृत नियन्त्रक प्रबन्धाधिकरण या ऐसे किसी व्यक्ति का अपवर्जन करते हुये संस्था का प्रबन्ध जिसमें संस्था की भूमि, भवनों, निधियों तथा संस्था के या उसमें निहित अन्य परिसम्यति का प्रबन्ध सम्मिलित है, अपने हाथ में ले सकता है और जब भी कभी प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया जाय, उसे, केवल ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार झारोपित करे, संस्था के प्रकृष में वे सब अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो इस उपघारा के या उपघारा (4) के अधीन आदेश न दिये जाने की दशा में उक्त संस्था के प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त होते।

(5-ख) उपचारा (5) या उपचारा (5-क) के ग्रधीन दिये गर्ये किसी

ब्रादेश की ब्रवींघ प्रथमतः एक वर्ष से ब्रविक की न होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी संस्था के और ऐसी संस्था की या उसमें निहित सम्पति के उचित प्रबन्ध को अनवरत रूप से सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना इष्टकर है, तो वह समय-समय पर आदेश का अवर्तन ऐसी प्रविध के लिये, जो एक बार में एक वर्ष से ग्रधिक न हो, जिसे वह निर्दिष्ट करे. बड़ा सकती है किन्तु इस प्रकार कि उक्त भादेश के प्रवर्तन की कुल भविष्क जिसके। भन्तर्गत उपधारा (5) या उपधारा (5-क) के अधीन प्रारम्भिक भादेश में निर्दिष्ट प्रविध भी हैं, यांच वर्ष से प्रक्षिक न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पांच वर्ष की उपरोक्त अवधि की समाप्ति के समय संस्था का कोई प्रबन्धाधिकरण वैध रूप से संगठित न हो तो प्राधिकृत निवन्त्रक तब तक संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में रखे रहेगा जब तक राज्य सरकार का समाधान न ही जाय कि बैध रूप से प्रबन्धाधिकरण का संघटन हो गया है :

ग्रग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे ग्रादेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकती हैं।";

(घ) उपधारा (6) में शब्द "उपधारा (4) के खंड (1)" के बाद शब्द "या उपधारा (5) या उपधारा (5-क)" बढ़ा दिये जायं।

(ङ) उपघारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपघारा रख दी जाय, अर्थात् :--"(7) संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण से सम्बन्धित (जिसके अन्तर्वत कोई प्रशासन योजना भी है) अथवा संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य ग्रिंचिनियमिति या संलेख में दी गई किसी बात के ग्रसंगत होते हुवे भी उपघारा (4) या उपचारा (5) या उपचारा (5-क) के अचीन दिया गया कोई आदेश या

निदेश प्रभावी होगा।" (च) उपधारा (8) में शब्द "उपचारा (4) या उपधारा (5)" के स्वान पर शब्द

"उपघारा (4). उपधारा (5) या उपधारा (5-क)" रख दिये जायं ;

3---किसी भी न्यायालय या ग्रन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिकी या ग्रादेश में किसी प्रतिकृत बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम की घारा 16-घ के अधीन दिया गया या दिये जाने के लिए तात्पर्यित प्रत्येक ग्रादेश इस ग्रिधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त घारा के ग्रघीन दिया गया समझा जायेगा और उसका इसी प्रकार निर्वेहन किया जायेगा और वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा ग्रौर सदैव से ही वैध तथा प्रभावी समझा जायेगा मानो इस ग्रधिनियम के उपवन्ध सभी सारवान ग्रवसरों पर प्रवृत्त थे, ग्रौर तदनुसार, उक्त धारा के ग्रधीन राज्य सरकार द्वारा ग्रथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत नियंत्रक का कार्य करें या करने के लिये त पर्यित हो, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही विधि के प्राधिकार से किया गया या की गई और सदैव से किया गया या की गई

समझी जायेगी। ा 41 जनरल (लेग०)--1972--1,83 4+50 (मै०)।

वैधीकरण

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on February 4, 1981:

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1980

1

[U. P. ACT NO. 1 OF 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) S Act, 1980.

Short title.

2. In section 2 of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (aaa), the words "and except for purposes of section 3, includes an Additional Director of Education" shall be inserted at the end.

Amendment of section 2 of U.P. Act II of 1921.

3. In section 16-A of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment of section 16-A.

"(7) Whenever there is dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Regional Deputy Director of Education, upon such enquiry as is deemed fit to be in actual control of its affairs may, for purposes of this Act, be recognised to constitute the Committee of Management of such institution until a court of competent jurisdiction directs otherwise:

Provided that the Regional Deputy Director of Education shall, before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to make representations in writing.

Explanation—In determining the question as to who is in actual control of the affairs of the institution, the Regional Deputy Director of Education shall have regard to the control over the funds of the institution and over the administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under sub-section (5) and other relevant circumstances."

4. In section 16-B of the principal Act. in sub-section (3). for the words "clause (a) or (b) of sub-section (3) of section 16-D" the words "sub-section (3) of section 16-D" shall be substituted.

Amendment of section 16-B.

5. In section 16-C of the principal Act. in sub-section (1). for the words "Subject to the regulations governing the principles for according approval to the Scheme of Administration", the words "Subject to the provisions of this Act" shall be substituted.

Amendment of section 16-C.

6. For section 16-D of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:

Insertion of sections 16-CC, 46-CCC and 16-DD and substitution of section 16-D.

"16-CC. The Scheme of Administration in relation to any institution. whether recognised before or after the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, shall not be inconsistent with the principles laid down in the Third Schedule.

16-CCC. (1) Where in relation to any institution, the Scheme of Administration has been or deemed to have been approved under section 16-A, or section 16-B or section 16-C, at any time before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act. 1980, and such Scheme of Administration is inconsistent with the provisions of this Act, the Director shall send, within a period of six months from such commencement, a notice to such institution suggesting any alteration or modification therein and requiring the institution to submit a fresh Scheme of Administration or to amend or alter the existing Scheme.

- (2) While making any suggestion in the Scheme of Administration under sub-section (1), the Director shall give his reasons therefor and shall also afford an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified in the notice.
- (3) The Director shall consider any representation made in accordance with sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form or subject to any alteration or modification suggested under sub-section (1) or with any other changes as may appear to him to be just and proper:

Provided that where the Director proposes to make any new alteration or modification in the Scheme of Administration, he shall give an opportunity to the institution to make a representation within such period as may be specified by him.

- 16-D. (1) The Director may cause a recognised institution to be inspected from time to time.
- (2) The Director may direct a management to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.
- (3) In on the receipt of information or otherwise, the Director is satisfied that—
  - (i) the Committee of Management of an institution has failed to comply with the judgment of any court or any direction made under this Act or any other law for the time being in force; or
  - (ii) the Committee has failed to appoint teaching staff possessing such qualifications as are necessary for the purpose of ensuring the maintenance of academic standard in the institution or has appointed or retained in service any teaching or non-teaching staff in contravention of the provisions of this Act or the Regulations; or
  - (iii) any dispute with respect to the right claimed by different persons to be lawful office-bearers of the Committee of Management has affected the smooth and orderly administration of the institution concerned:
  - (iv) the Committee has persistently failed to provide the institution with such adequate and proper accommodation. library, furniture, stationery, laboratory equipment or other facilities as are necessary for the efficient administration of such institution; or
  - (v) the Committee has substantially diverted, misapplied or misappropriated the property of the institution to its detriment or has transferred any property in contravention of the provisions of the Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974; or
  - (vi) the draft of the Scheme of Administration has not been submitted within the time allowed therefor under section 16-B, or that the Management of the institution is being conducted otherwise than in accordance with the Scheme of Administration or the affairs of the institution are being otherwise mis-managed;
  - (vii) the Scheme of Administration in relation to an institution, approved before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, is inconsistent with the provisions of this Act and the management of the institution has failed to alter or modify it within a reasonable time despite notice under section 16-CCC;

he may refer the case to the Board for withdrawal of recognition of such institution, or issue notice to the Committee of Management to show cause within thirty days from the date of receipt of such notice why an order under sub-section (4) should not be made.

(4) Where the Committee of Management of an institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (3) or within such extended time as the Director may from time to time allow, or where the Director is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in sub-

U, P. no. 3

section (3) exists, he may, recommend to the State Government to appoint an Authorised Controller for that institution, and thereupon, the State Government may, by order, for reasons to be recorded, authorise any person (hereinafter referred to as the Authorised Controller) to take over, for such period not exceeding two years, as may be specified, the Management of such institution and its properties:

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution and its properties, it may, from time to time, extend the operation of the order, for such period, not exceeding one year at a time, as it may specify, so however, that the total period of operation of the order, including the period specified in the initial order, but excluding the period specified in sub-section (8), does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that a Committee of Management has been lawfully constituted.

- (5) If on the receipt of information or otherwise, the State Government is of opinion that in relation to an institution the ground mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, and that the interest of the institution calls for immediate action, it may, notwithstanding anything contained in the said sub-section, issue notice to the Management of such institution to show cause within fifteen days from the date of receipt of such notice why an Authorised Controller be not appointed in respect of such institution.
- (6) Where the Committee of Management of the concerned institution fails to show cause within the time allowed under sub-section (5), or within such extended time as the State Government may, from time to time allow, or where the State Government is, after considering the cause shown by the Committee of Management, satisfied that any of the grounds mentioned in clause (iii) or clause (v) of sub-section (3) exists, it may, by order and for reasons to be recorded, appoint an Authorised Controller in respect of such institution, and thereupon, the provisions of sub-section (4) shall, mutatis mutandis apply
- (7) Every notice issued by the Director under sub-section (3) on or before the service of the notice referred to in sub-section (5) and not finally disposed of on the date of such service shall, with effect from the said date, be deemed to have been placed in abeyance:

Provided that nothing contained in this sub-section shall be deemed to prevent the Director to take action upon grounds other than those mentioned in clauses (iii) and (v) of sub-section (3) in case the notice issued by the State Government under sub-section (5) is discharged.

(8) If the State Government is of opinion that immediate suspension of the Committee of Management is also necessary or expedient in the interest of the institution concerned, it may, while issuing notice under sub-section (5), by order and for reasons to be recorded, suspend the Committee of Management and make such arrangement as it thinks proper for managing the affairs of the institution pending the order that may subsequently be made under sub-section (6):

Provided that the suspension shall not remain in force for more than six months from the date it becomes effective.

Explanation I—For the removal of doubts it is hereby declared that in computing the period of time specified in sub-section (4) or sub-section (8), the time during which the operation of the order was suspended by the High Court in exercise of the powers under Article 226 of the Constitution shall be excluded.

Explanation II-Nothing in sub-section (4) or sub-section (6) shall preclude the State Government from revoking an order of appointment of an Authorised Controller appointed under any of the said provisions.

- (9) Nothing in this section shall be construed to confer on the Authorised Controller appointed under sub-section (4) or sub-section (8), the power to transfer any immovable property belonging to the institution (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) or to create any charge thereon (except as a condition of receipt of any grant-in-aid for the institution from the State Government or the Government of India).
- (10) Any order made under this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or in any instrument (including any Scheme of Administration) relating to the management and control of the institution or its property:

Provided that the property of the institution and any income therefrom shall continue to be applied for the purposes of the institution as provided in any such instrument.

- (11) The Director may give to the Authorised Controller such directions as he may deem necessary for the proper management of the institution or its properties, and the Authorised Controller shall carry out those directions.
- (12) No order made by the Board withdrawing recognition in pursuance of a reference made under sub-section (3) and no order made or direction given under this section by the Director or the State Government shall be called in question in any court, and no injunctions shall be granted by any court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this section.
- (13) The powers conferred by this section shall be in addition to, and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorised Controller under any other law for the time being in force.
- (14) Nothing contained in sub-sections (3) to (13) shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.
- 16-DD. (1) Wherever an Authorised Controller is appointed under sub-section (4) or sub-section (8) of section 16-D-
  - (a) he shall take over the Management of the concerned institution and its properties to the exclusion of its Committee of Management, and shall, subject to such restrictions as the State Government may impose, have all such powers and authority as the Committee would have if the institution and its properties were not taken over under the said sub-sections;
  - (b) every person in whose possession, custody or control any property of the institution may be shall deliver such property to the Authorised Controller forthwith.
- (2) Every person who on the date of the order referred to in subsection (4) or sub-section (8) of section 16-D has in his possession or control any books or other documents relating to the institution or to its property shall be liable to account for the said books and other documents to the Authorised Controller, and shall deliver them to him or to such person as the Authorised Controller may specify in this behalf.
- (3) The Authorised Controller may apply to the Collector for delivery of possession and control over the institution or its properties or any part thereof, and the Collector may take all necessary steps to securing possession to the Authorised Controller of such institution or property, and in particular, may use or cause to be used such force as may be necessary.

Explanation—In this section and section 16-D, unless the context otherwise, requires, 'property' in relation to an institution, includes all property, movable and immovable belonging to or endowed wholly or partly for the benefit of the institution including lands, buildings (in cluding hostels), works, library, laboratory, instruments, equipment, furniture, stationery, stores, automobiles and other vehicles, if any, and

other things pertaining to the institution, cash in hand, cash at bank, income from fees, boys funds and Government grants, investments and book debts, and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession power or control of the institution and all books of accounts, registers and all other documents of whatever nature relating thereto, and shall also be deemed to include all subsisting borrowings, liabilities and obligations of whatever kind, of the institution."

7. After section 16-E of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 16-EE.

The same of the sa

"16-EE. (1) Where any employee of an institution has been retrenched on or after July 1, 1974 but before the commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980, and such employee possesses minimum qualifications prescribed therefor on the date of initial appointment the Regional Deputy Director of Education shall, on an application made in this behalf, direct that subject to the provisions of this section, such employee be absorbed against any permanent vacancy occurring in the same or any other institution situate in any district within his jurisdiction:

Provided that in the case of an employee retrenched on or after the date of such commencement the Regional Deputy Director of Education may issue directions under this section without any application from the employee concerned.

- (2) Every application referred to in sub-section (1) shall be made within six months from the date of commencement of the Intermediate Education (Amendment) Act, 1980.
- (3) Where any direction is issued by the Regional Deputy Director of Education under sub-section (1) the following consequences shall ensue, namely:—
  - (i) the Committee of Management of the institution concerned shall be bound to comply with every such direction, and the employee in whose favour such direction is issued shall be deemed to be an employee of such institution from the date of the order of appointment issued by the Committee to him or from the expiry of a period of two months from the date of service of the direction on the Committee of Management under sub-section (1), whichever is earlier.
  - (ii) the period of substantive service rendered by such employee in any institution before the date of his retrenchment shall be counted for the purposes of his seniority and pension.
  - (iii) where the employee concerned fails to join the post within the time allowed therefor, the benefits of this section shall not be available to him.
- (4) Any person aggrieved by the direction issued under sub-section (1) may make a representation to the Director within one month from the date of service on him of such direction, and the order of the Director thereon shall be final.
- (5) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.

Explanation-For the purposes of this section-

- (a) 'employee' in relation to an institution means a teacher, head of institution or other employee thereof holding a permanent post on the date immediately preceding the date of retrenchment;
- (b) 'institution' includes a training institution recognised by the State Government or the Director;
- (c) retrenchment in relation to an employee of an institution means the termination of his services for any reason other than resignation, retirement or removal by way of punishment inflicted in disciplinary proceedings."

Amendment of section 16-H.

- 8. In section 16-H of the principal Act, in sub-section (1) for the words "sub-sections (2) to (7)", the words "sub-section (2) to sub-section (13)" shall be substituted.
- Insertion of a new Schedule.
- 9. After the second Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be inserted, namely—

#### "THIRD SCHEDULE

(See Section 16-CC)

Principles on which approval to a Scheme of Administration shall be accorded

Every Scheme of Administration shall,-

(1) provide for proper and effective functioning of the Committee of Management;

(2) provide for the procedure for constitution the Committee of Management by periodical elections;

(3) provide for the qualifications and disqualifications of the members and office-bearers of the Committee of Management and the term of their offices:

Provided that no such Scheme shall contain provisions creating monopoly in favour of any particular person, caste, creed, religion or family;

- (4) provide for the procedure of calling meetings and the conduct of business at such meetings;
- (5) provide that all the decisions shall be taken by the Committee of Management and powers of delegation, if any, shall be limited and clearly defined;
- (6) ensure that the powers and duties of the Committee of Management and its office-bearers are clearly defined;
- (7) provide for the maintenance and security of property belonging to the institution and also for the utilization of its funds and for the regular checking and auditing of accounts."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

### No. 944(2)/XVII-V-1-9-81

### Dated Lucknow, April 14, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 1981:

# THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1981

[U.P. ACT NO. 9 OF 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1981.

Amendment of section 3 of U.P. Act II of 1921.

2. In section 3 of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), in clause (c), for the word "eleven" wherever occurring, the word "twelve" shall be substituted.

Amendment of

3. In section 16-EE of the principal Act, after sub-section (5) and before the Explanation, the following sub-section shall be inserted and be deemed to have been inserted from February 11, 1981, namely:—

"(6) Nothing in this section shall apply to an institution established and administered by a minority referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India."

Amendment of Third Schedule. 4. In the Third Schedule to the principal Act, in the proviso to paragraph (3), the word 'religion' shall be omitted and be deemed to have been omitted from February 11, 1981.

By order, G. B. SINGH, Sachiv.

पो 0 एस 0 यू 0 पी 0 -- ए 0पी 0 9 पा 0 (विधा 0) -- 4-4-81-- (158) -- 1981-- 700 (में कें 0)।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 23, 1984.

# THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1984 [U. P. ACT no. 6 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly),

#### AN ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act, 1984.
  - (2) It shall be deemed to have come into force on May 23, 1983. -

Amendment of section 16-CCC of U. P. Act no. II of 1921. 2. In section 16-CCC of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), for the words "six months" the words "three years" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 16-D.

3. In section 16-D of the principal Act, in sub-section (8), in Explanation II, in the Hindi version thereof, for the words and figure "या उपधारा (8)" the words and figure "या उपधारा (6)" shall be substituted.

Validation.

4. Notwithstanding anything contained in the principal Act, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as they stood immediately before the commencement of this Act, shall be and be deemed always to have been valid as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Repeal and savings.

- 5. (1) The Intermediate Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1983, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order, G. B. SINGH, Sachiv.

पी 0एस 0यू 0पी 0-ए 0 पी 0 435 सा (विधा 0)-(4413)-1984-750 (मैक 0) ।

Ordin no. 4

#### No. 1159/XVII-V-1—1(KA)-36-1986

Dated Lucknow, July 30, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshochan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on July 29, 1987:

### THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. Act no. 18 of 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921

It is HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Act. 1987.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force on October 14. 1986.
- 2. For section 7-A of the Intermediate Education Act, 1921, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be substituted. namely:-

Substitution of section 7-A of U.P. Act no.II of 1921

- "7-A. Notwithstanding anything contained in clause (4) of section 7-Recognition of (a) the Board may, with the prior approval of the State Government, recognise an institution in an institution in any new subject or group of subjects or for a any new subject or for a higher higher class; class
- (b) the Inspector may permit an institution to sopen a new section in an existing class.'
- 3. After Section 7-A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :-

Insertion of new section 7-AA and 7-AB

"7-AA. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the manage-Employment of ment of an institution may, from its own resources, part time teachers employ—

tructors

दि

प्रदे

98

उदेश ादेश

1 6

383

- or part-time ins- (i) as in interim measure part-time teachers for imparting instructions in any subject or group of subjects or for a higher class for which recognition is given or in any section of an existing class for which permission is granted under section 7-A;
  - (ii) part-time instructors to impart instructions in moral education or any trade or craft under socially useful productive work or vocational course.
- (2) No recognition shall be given and no permission shall be granted under section 7-A, unless the Committee of Management furnishes such security in cash or by way of Bank guarantee to the Inspector as may be specified by the State Government from time to time.
- (3) No part-time teacher shall be employed in an institution unless such conditions as may be specified by the State Government by order in this behalf are complied with.
- (4) No part-time teacher or part-time instructor shall be employed unless he possesses such minimum qualifications as may be prescribed

- (5) A part-time teacher or a part-time instructor shall be paid such honorarium as may be fixed by the State Government by general or special order in this behalf.
- (6) Nothing in this Act shall preclude a person already serving as a teacher in an institution from being employed as a part-time teacher or a part-time instructor under section 7-AA.

"7-AB. Nothing in the Uttar Pradesh High School and Intermediate

Exemption

Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other
Employees) Act, 1971 or the Uttar Pradesh
Secondary Education Services Commission and Selection Boards Act,
1982, shall apply in relation to part-time teachers and part-time instructors employed in an institution under section 7-AA."

U. 1971 U. no. 1982

U.P.

Danci

of 19

### Repeal and savings

- 4. (1) The Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

#### No. 826(2)/LXXIX-V-1-08-1(Ka)13-2007

#### with the very transfer or glove. If A Dated Lucknow, May 30, 2008

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 21, 2008.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 16 OF 2008)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

ΑN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

- I. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Short title and extend
  - (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 2 of 1921

- 2. For section 3 of the Intermediate Education Act, 1921 hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:
  - "3. (1) the Board shall consist of a Chairman (which effice shall be held Constitution of the Board by the Director, ex-officio) and the following other member, namely:—
    - (a) two heads of the institution, maintained by the State Government, nominated by the State Government is the state of th
    - (b) two teachers of the institutions infaintained by the State Government, nominated by the State Government;
    - (c) the Director, State Council of Educational Research and training Uttar Pradesh, Lucknow or a representative nominated by him;
    - (d) the Director, State Institute of Educational Management and Training Uttar Pradesh, Allahabad or representative nominated by him;
    - (e) the Additional Director of Education (Correspondence), Correspondence Education Institute, Allahabad;
    - (f) the Additional Director of Education, (Vocational Education)
      Lucknow:
    - (g) two person related to Education, nominated by the State Government;
    - (h) two women related to the Women's Education, nominated by the State Government;
    - (i) the Director, State Institute of Science Education, Allahabad, ex-officio;
      - (j) the Principal, State Institute of Education Allahabad ex-officio;
      - (k) the Director, Bureau of Psychology, Allahabad ex-officio;
    - (l) the Secretary, Board of Secondary Sanskrit Education, Lucknow, ex-officio;
    - (m) one District Inspector of Schools nominated by the State Government;
    - (n) one Regional Joint Director of Education nominated by the State Government;
    - (o) the Regional Officer, Central board of Secondary Education, Allahabad ex-officio;
    - (p) the Principal, Government Physical Training College, Rampur, ex-officio;
    - (q) one Professor of a Degree College affiliated to a University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;
    - (r) one Professor of an Engineering College affiliated to an Engineering University established by law in Uttar Pradesh nominated by the State Government;
    - (a) one Professor of Agricultural University established by law in Ottar Pradesh, nominated by the State Government;
    - (t) one Professor of a Medical College affiliated to a Medical University nominated by the State Government.

- (2) The Secretary of the Board shall be the ex-officio member-secretary of the Board.
- (3) As soon as may be after the nomination of the Board has been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted".
- 3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2) for the words "elected or nominated" the word "nominated" shall be substituted.

Arrendment of section 4

4. In section 13 of the principal Act for sub-section (2) the following subsection shall be substituted, namely:- Amendment of section 13

"(2) Such Committees shall consist of the members of the Board only:

Provided that no member of the Board shall be the member of more than one kind of Committee of these Committees and the members of the Committees shall hold office as such till they are members of the Board.

5. The First Schedule to the principal Act shall be omitted.

Omission of the First Schedule

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Intermediate Education Act, 1921 provides for the constitution of the Board. In accordance with the existing provisions of the said section the Board shall consist of a Chairman who shall be the Director of Education and 9 ex-officio members, 31 members nominated by the State Government and 32 elected members. With a view to making the working of the Board more efficient and for achieving the objective of fundamental educational aim of the Board, it has been decided to amend the said Act mainly to provide for reducing the number of members from 72 members to 25 members and nomination of teachers and heads by the State Government instead of the election thereof.

The Intermediate Education (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order, S.M.A ABIDI, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० १४५ राजपत्र (हि०)--(३१०)--२००८--५९७--(कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०--ए०पी० ७ सा० विधायी--(३११)--२००८--८५०-(कम्प्यूटर/आफसेट)।



रिजस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

### लखनऊ, बृहस्पतिवार, 29 सितम्बर, 2022

आश्विन ७, 1944 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 496 / 79-वि-1—2022-1-क-9-2022 लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—7 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और

(2) यह दिनांक ६ सितम्बर, २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 7 का संशोधन 2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नवीन स्व—वित्तपोषित हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान किया जाना:

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात, इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।"

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

अध्यादेश संख्या 7 सन 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

# उद्देश्य और कारण

राज्य में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का विनियमन तथा पर्यवेक्षण करने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने के लिए इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) अधिनियमित किया गया है। परिषद की शक्तियाँ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित हैं। वर्ष 1987 में एक नई धारा 7—क बढ़ायी गयी जिसके खण्ड—क में यह उपबंधित है कि परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी संस्था को किसी नये विषय या विषय समूह में या किसी उच्चतर कक्षा के लिये मान्यता प्रदान कर सकती है। उक्त धारा के अनुसरण में परिषद द्वारा नये विद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती रही । मा० उच्च न्यायालय ने विशेष अपील संख्या 25/2006 (मन्जू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में धारा 7-क(क) में बोर्ड को, नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की शक्ति का उपबंध नहीं है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त विसंगति का निराकरण करने के लिये पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

#### No. 496(2)/LXXIX-V-1-2022-1-ka-9-2022 Dated Lucknow, September 29, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 29, 2022. The Madhyamik Shiksha Anubhag-7 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

#### THE INTERMEDIATE EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2022

(U.P. Act no. 10 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Amendment) Short title and Act, 2022.

commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from September 6, 2022.
- 2. For sub-section (4) of section 7 of the Intermediate Education Act, 1921, the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment of section 7 of U.P. Act no. 2

of 1921

Repeal and

saving

"To recognize new self-financed High Schools and Intermediate Colleges for the purposes of its examination, after the prior approval of the State Government:

Provided that notwithstanding anything contained in this Act, nothing in the Uttar Pradesh High School and Intermediate Colleges (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971 or the Uttar Pradesh Secondary Education Services Board Act, 1982, shall apply in relation to the new self-financed school granted recognition under this sub-section."

U.P. Ordinance no. 7 of 2022

3. (1) The Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at

all material times.

#### STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

The Intermediate Education Act, 1921 (U.P. Act no. 2 of 1921) has been enacted to establish a Board of High School and Intermediate Education to regulate and supervise the system of High School and Intermediate Education in the State and the matters connected therewith or incidental thereto. The powers of the Board are mentioned in section 7 of the aforesaid Act. In the year 1987, a new section 7-A was inserted, clause (a) whereof provided that the Board, may, with the prior approval of the State Government recognize an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class. In pursuance of the said section new schools were being given recognition by the Board. The Hon'ble High Court in Special Appeal No. 25/2006 (Manju Awasthi and Ors Vs State of Uttar Pradesh and Ors) clarified that section 7-A (a) does not actually provide the Board with the power to recognize new self financed schools.

In view of the above, to remove the said discrepancy, It was decided to amend section 7 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 7 of 2022) was promulgated by the Governor on September 6, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 22, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 681 / 79-वि-1—2022-1-क-18-2022 लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

> अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने इण्टरमीडियट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2022) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:— 1—(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा संक्षिप्त नाम और जायेगा।

(2) यह दिनांक ४ अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 16-क का संशोधन 2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 16 क की उपधारा (1) में शब्द ''प्रत्येक संस्था के लिये'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के लिये'' रख दिए जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति 3—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

### उद्देश्य और कारण

संस्थाओं का कुशल संचालन एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना में आचार्य अथवा प्रधानाचार्य के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य और प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य विहित किये गये हैं। तथापि प्रायः यह देखा जाता है कि संस्था के सदस्यों द्वारा एक साथ दो प्रबन्ध समितियों का गठन करके विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके कारण संस्था के कृशल संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों अथवा बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में कोई प्रशासन योजना तंत्र नहीं है। इसके स्थान पर उपर्युक्त विद्यालयों का प्रबन्धन/संचालन रिजस्ट्रार, सोसाइटी एवं चिट्स फण्ड द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित साधारण सभा की समिति द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों का संचालन मात्र मूल संस्थाओं द्वारा किए जाने का उपबंध करने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16—क में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

#### No. 681 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-18-2022

Dated Lucknow, December 13, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Intermediate Shiksha (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 13, 2022. The Madhyamik Shiksha Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE INTERMEDIATE EDUCATION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022 (U.P. Act no. 15 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Second Amendment) Act, 2022.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from October 4, 2022.
- 2. In sub-section (1) of section 16-A of the Intermediate Education Act, 1921, (hereinafter referred to as the "principal Act") *for* the words "for every institution", the words "for every State Government Aided Institution" shall be *substituted*.

Amendment of section 16-A of U.P. Act no. 2 of 1921

Repeal and saving

3. (1) The Intermediate Education (Second Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed.

U.P. Ordinance no. 9 of 2022

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

\_\_\_\_\_

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The powers, duties and functions of the Acharya or Principal and the rights, duties and functions of the Management Committee have been prescribed in the administration plan of each institution in order to ensure the efficient operation and management of the institutions. However, it is often seen that disputes are created by the members of the institutions by forming two management committees simultaneously due to which there is disturbance in the efficient running of the institution.

It is notable that there is no system of administration scheme in the schools run by the non-Government recognized institutions under CBSE board or schools run under Basic Education. Instead, the management/operation of the above schools is done by the committee of the General Assembly approved/certified by the Registrar Society and Chits Fund. In view of the above, it was decided to amend

section 16-A of the Intermediate Education Act, 1921 to provide for the running of the self-financed Secondary Schools recognized by the U.P. Madhyamik Shiksha Parishad by the parent institutions only.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Intermediate Education (Second Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 9 of 2022) was promulgated by the Governor on October 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १०९७ राजपत्र—२०२२—(१७७)—५९९ प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १०० सा० विधायी—२०२२—(१७७)—३०० प्रतियां—(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।